

विवरणिका एवं नियमावली
पी-एच.डी. प्रोग्राम
(पूर्णकालिक एवं अंशकालिक)

Information Brochure and Rules & Regulations

Ph.D. Programme
(Full Time and Part Time)

Direct Admission For
NET/NET (JRF)/SET/SLET/GATE/M.PHIL.
Qualified Candidates

2021-2022



गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार
(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्राप्त यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सेक्शन-3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar

NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

www.gkv.ac.in

IMPORTANT INFORMATION

LAST DATE FOR SUBMITTING THE FILLED IN APPLICATION FORM

- 31.07.2021

APPLICATION FEE

- Rs. 500/-

PROCESSING FEE (At the time of Interview / counseling)

- Rs. 1000/- (Non refundable)

SUBJECTS AVAILABLE FOR Ph.D. PROGRAMME

Code No.	Main Subjects
GKV-101 to GKV-126	<ul style="list-style-type: none">● GKV-101 Sanskrit● GKV- 103 Philosophy● GKV- 105 Hindi Literature● GKV- 107 Ancient Indian History, Culture & Archaeology● GKV- 108 Psychology● GKV- 110 Physics● GKV- 112 Mathematics● GKV- 114 Zoology● GKV- 116 Botany● GKV- 118 Physical Education● GKV- 120 Applied Science (Chemistry)● GKV- 122 Computer Science & Engineering● GKV- 124 Pharmaceutical Sciences● GKV- 126 Economics● GKV- 102 Vedic Literature● GKV- 104 English● GKV- 106 Yogic Science*● GKV- 109 Management● GKV- 111 Chemistry● GKV- 113 Computer Science● GKV- 115 Environmental Science● GKV- 117 Microbiology● GKV- 119 Applied Science (Physics)● GKV- 121 Applied Science (Maths)● GKV- 123 Electronics & Comm. Engg.● GKV-125 Shradhanand Vedic Shodh

* There is no seat vacant in Yogic Science for the academic session 2021-22.

NOTE :-

1. All information regarding admission shall be displayed on the notice board and University website. The list of candidates will be uploaded on the Vishwavidyalaya website. **No information regarding this shall be sent by post.** Hence, the candidates are advised to be in touch with the website & the concerned department.
2. The eligibility of the NET/NET-JRF/SET/SLET/GATE/M.Phil. (admitted through entrance test) candidates will be valid for acadmic session 2021-22 only. Eligible candidates will be called for interview to discuss their research area before the Departmental Research Committee (DRC).
3. Final selection of the candidate shall be made on the basis of the Interview. In the Interview the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before departmental research committee. The seat shall remain vacant in the concerned subject, if any candidate is not found suitable even after the completion of the above process.

All information regarding admission shall be displayed on the notice board and University website.

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

- 31.07.2021

आवेदन शुल्क

- ₹0 500/—

प्रोसेसिंग शुल्क (साक्षात्कार/कारुंसिलिंग के समय)

- ₹0 1000/— (नॉन रिफन्डेबल)

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध विषय

कोड संख्या	मुख्य विषय
GKV- 101 से GKV- 126	● GKV-101 संस्कृत
	● GKV-102 वैदिक साहित्य
	● GKV-103 दर्शन
	● GKV-104 अंग्रेजी
	● GKV-105 हिन्दी साहित्य
	● GKV-106 योग विज्ञान *
	● GKV-107 प्रा0भा0 इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व
	● GKV-108 मनोविज्ञान
	● GKV-109 प्रबन्धन
	● GKV-110 भौतिकी
	● GKV-111 रसायन
	● GKV-112 गणित
	● GKV-113 कम्प्यूटर विज्ञान
	● GKV-114 जन्तु विज्ञान
	● GKV-115 पर्यावरण विज्ञान
	● GKV-116 वनस्पति विज्ञान
● GKV-117 माइक्रोबायोलॉजी	
● GKV-118 शारीरिक शिक्षा	
● GKV-119 एप्लाइड साइंस (भौतिकी)	
● GKV-120 एप्लाइड साइंस (रसायन विज्ञान)	
● GKV-121 एप्लाइड साइंस (गणित)	
● GKV-122 कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	
● GKV-123 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन इंजी.	
● GKV-124 फार्मास्युटिकल साइंसेस	
● GKV-125 श्रद्धानन्द वैदिक शोध	
● GKV-126 अर्थशास्त्र	

* योग विज्ञान में सत्र 2021-22 के लिए कोई सीट रिक्त नहीं है।

नोट:-

1. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी। अतः अभ्यर्थी वेबसाइट एवं सम्बन्धित विभागों के सम्पर्क में रहें।
2. NET/NET-JRF/SET/SLET/GATE/M.Phil. (प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अर्हता केवल इसी सत्र 2021-22 के लिए ही मान्य होगी। अर्ह अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार एवं उनके शोध क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु बुलाया जायेगा।
3. अभ्यर्थियों का अन्तिम रूप से चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की रुचि/क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित विषय में वह सीट रिक्त रहेगी।

प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ विश्वविद्यालय वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेंगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी।

**DETAILS OF NO. OF SEATS AVAILABLE
IN DIFFERENT SUBJECTS/DISCIPLINES OF Ph.D. (2021-22)**

Following main subjects / disciplines are available in the various faculties of the Vishwavidyalaya in which Ph.D. Degree shall be awarded. A candidate is permitted to apply for more than one subject :-

Table- 1: Main Subjects / Disciplines

Code No.	Main subjects / disciplines	Allied subjects / disciplines	No. of seats *
GKV-101	Sanskrit	Ved, Vyakaran, Sahitya or Dharmshastra	10
GKV-102	Vedic Literature	Sanskrit, Philosophy, Yoga, Ayurved, Jyotish & Karmkand, Ved, Vyakaran, Dharmashastra or any other branch of Veda	12
GKV-103	Philosophy	Ved, Sanskrit, Yoga, Sankhya, Nyaya, Meemansa, Vedanta, Nyaya -Vaisheshika, Sankhya-yoga, Baudhd, Jain, Dharmashastra or any other branch of Philosophy	04
GKV-104	English	-	07
GKV-105	Hindi Literature	Linguistics, Hindi Journalism & Mass Communication	06
GKV-106	Yogic Science	Philosophy, Psychology, Sankhya-yoga	NIL
GKV-107	Ancient Indian History, Culture and Archaeology	-	01
GKV-108	Psychology	Management, Physical Education, Medical Sciences, Home Science, Sociology, Yogic Science, Psychiatry, Education, Anthropology, Social work (MSW), Forensic Science/Psychology, Nursing	06
GKV-109	Management	Commerce, Economics, Psychology (Organisational Behaviour/Industrial Psychology)	09
GKV-110	Physics	Electronics, Electronics and Communication, Atmospheric Physics, Astro Physics, Material Science	04
GKV-111	Chemistry	Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Commercial Methods of Chemical Analysis, Plant Chemistry, Medicinal Chemistry, Phytochemistry, Pharmaceutical Chemistry, Environmental Science/Chemistry, Industrial Chemistry, Forensic Science/Chemistry, Archaeochemistry, Biochemistry	23
GKV-112	Mathematics	Statistics, Operation Research, Industrial Mathematics	05
GKV-113	Computer Science	Computer Applications, Computer Management, Information Technology, Software Sciences, System Sciences	37
GKV-114	Zoology	Life Science, Animal Science, Fish and Fisheries, Entomology, Applied Zoology, Aquatic Biology	10
GKV-115	Environmental Science	Biotechnology, Agriculture, Forestry, Botany, Wildlife Science, Remote Sensing, Bio-physics, Geology, Environmental Chemistry, Environmental Physics/ Atmospheric Physics	
GKV-116	Botany	Biochemistry, Plant Pathology	11
GKV-117	Microbiology	Biotechnology	
GKV-118	Physical Education	Psychology, Medical Science, Yogic Science	02

* Number of seats may vary. There is no seat vacant in Yogic Science.

Table- 1: Main Subjects / Disciplines

Code No.	Main subjects / disciplines	Allied subjects / disciplines	No. of seats *
GKV-119	Applied Science (Physics)	Physics, Electronics, Atmospheric Physics Astro Physics, Material Science	10
GKV-120	Applied Science (Chemistry)	Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Organic Chemistry, Analytical Chemistry, Commercial Methods of Chemical Analysis, Plant Chemistry, Pharmaceutical Chemistry	10
GKV-121	Applied Science (Mathematics)	Mathematics, Statistics, Operation Research Industrial Mathematics	08
GKV-122	Computer Science & Engineering	Computer Applications, Computer Management, Information Technology, Software Sciences, System Sciences	11
GKV-123	Electronics & Communication Engineering	Electronics & Telecommunication, Industrial Electronics, Microwave Engg., VLSI, Instrumentation, Solid state Electronics, Biomedical Electronics, Instrumentation and Control, Embedded Systems.	05
GKV-124	Pharmaceutical Sciences		02
GKV-125	Shraddhanand Vedic Shodh	Ved, Sanskrit, Philosophy, Dharmshastra	02
GKV-126	Economics		04
*No. of seats may vary			Total
			199

Note

If seats remain vacant in any of the Subject / Department, admissions to those seats shall be made through Research Entrance Test (RET) conducted by the Gurukula Kangri (Deemed to be University) later on (likely to be held in the month of October 2021).

CONTACT NUMBERS CO-ORDINATOR / DEAN / HEAD OF DEPARTMENTS

CO-ORDINATOR / DEAN

S.No	Name	Campus/Faculty	Contact No.
1.	Prof. Namita Joshi	Coordinator, KGC Haridwar	8630601832
2.	Prof. Renu Shukla	Coordinator, KGC Dehradun	9412174170
3.	Prof. Brahmdev	Oriental Studies	9412307123
4.	Prof. Ambuj Kumar Sharma	Humanities	9319023424
5.	Prof. L.P. Purohit	Science	7300761217
6.	Prof. Vivek Kumar	Technology	7300761140
7.	Prof. Pankaj Madan	Engg. & Technology	7500622221
8.	Prof. Navneet	Life Science	7300761327
9.	Prof. V.K. Singh	Management	7500133344
10.	Prof. R.C. Dubey	Medical Science & Health	9412157616
11.	Prof. C.P. Khokhar	Education	8476000376
12.	Prof. R.K.S. Dagar	Yoga & Physical Education	9837571466

HEAD OF DEPARTMENTS

1.	Prof. Dinesh Chandra Shastri	Veda	9410192541
2.	Prof. Somdev Shatanshu	Sanskrit	7300761231
3.	Prof. Rakesh Kumar Sharma	A.I. History Culture & Archaeology	9870802043
4.	Dr. Surendra Kumar	Yogic Science	7300761306
5.	Prof. Sohan Pal Singh Arya	Philosophy	7300761267
6.	Prof. C.P. Khokhar	Psychology	8476000376
7.	Prof. Shrawan K. Sharma	English	9412074666
8.	Prof. Ambuj Kumar Sharma	Hindi	9319023424
9.	Prof. L.P. Purohit	Physics	7300761217
10.	Prof. R. D. Kaushik	Chemistry	7351739000
11.	Prof. L.P. Purohit (Ex. Officio)	Mathematics & Statistics	7300761217
12.	Prof. K.J. Bhatia	Computer Science	9412058541
13.	Prof. R.C. Dubey	Botany and Microbiology	9412157616
14.	Prof. D.S. Malik	Zoology and Environmental Science	9897887165
15.	Prof. R.K.S. Dagar	Physical Education & Sports	9837571466
16.	Prof. V.K. Singh	Management Studies	7500133344
17.	Prof. S.K. Rajput	Pharmaceutical Science	9990054327
18.	Prof. Satyadev Nigmalankar	Shardhanand Vedic Shodh Sansthan	7300761148
19.	Dr. Vipul Sharma	Electronics & Comm. Engg.	8057381719
20.	Dr. Mayank Agarwal	Computer Science & Engg.	7300761144
21.	Prof. Vivek Kumar	Computer Center	9837202304
22.	Prof. Pankaj Madan (Ex. Officio)	Electrical Engg.	7500622221
23.	Prof. Pankaj Madan (Ex. Officio)	Mechanical Engg.	7500622221
24.	Dr. M.M. Tiwari	Applied Sciences	7300761272

**DIGITAL INITIATIVES BY
GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR**



रैगिंग – एक दण्डनीय अपराध

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यदि रैगिंग की कोई घटना विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा से स्पष्टीकरण देने को कहा जायेगा और यदि उसका स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाया गया तो उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

Ragging - A Crime Liable to Punishment

Ragging is totally banned in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. As per direction of Hon'ble Supreme Court of India, if any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given opportunity to explain and if his/her explanation is not found satisfactory, the authority would expel him/her from the Vishwavidyalaya.

महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार में छात्र कल्याण परिषद का चुनाव प्रतिबंधित है। छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

Important Information

It is hereby informed that the election of Student Welfare Association in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is banned. For the redressal of student's grievances the Student Grievance Redressal Cells have been established in the Vishwavidyalaya as per the guidelines of UGC.

विषय सूची

CONTENTS

समविश्वविद्यालय एक परिचय (DEEMED TO BE UNIVERSITY - AN INTRODUCTION)	1
प्रबन्ध व्यवस्था (MANAGEMENT)	2
अध्ययनोपयोगी सुविधायेँ (FACILITIES FOR STUDIES)	3
अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ (RESEARCH SCHOLARSHIP)	5
आरक्षण वर्ग (RESERVATION CATEGORY)	5
प्रवेश प्रक्रिया (ADMISSION CRITERIA)	7
अर्हताएँ (ELIGIBILITY)	8
विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/परिचर्चा के समय जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची (LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF DISCUSSION IN THE DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE)	10
नियम-उपनियम (RULES & REGULATIONS)	11
प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की सूची (LIST OF FACULTY MEMBERS)	34
अनुशासन समिति (PROCTORIAL BOARD)	39
छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर एवं शिकायत प्रकोष्ठ/ समान अवसर प्रकोष्ठ/महिला सशक्ति प्रकोष्ठ (STUDENT COUNSELING CENTRE & GRIEVANCE CELL / EQUAL OPPORTUNITY CELL / WOMEN EMPOWERMENT CELL)	40
एन्टी रैगिंग स्क्वाड एवं एन्टी रैगिंग समिति (ANTI RAGGING SQUAD AND ANTI RAGGING COMMITTEE)	41
एकेडमिक कैलेंडर (ACADEMIC CALENDER)	42
शुल्क तालिका-I : पूर्णकालिक पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (FEE STRUCTURE-I : FULL TIME Ph.D. PROGRAMME)	43
शुल्क तालिका-II: अंशकालिक पी-एच.डी प्रोग्राम (FEE STRUCTURE-II : PART TIME Ph.D. PROGRAMME)	44
शुल्क तालिका-III : अन्य मदों में लिया जाने वाला शुल्क (FEE STRUCTURE-III : FEE TO BE CHARGES UNDER OTHER HEADS)	45

Establishment and Objectives

The Gurukula Kangri (Deemed to be University) was established in 1902 by the martyr Swami Shraddhanandji Maharaj. The University was established to provide an option of imparting education in the national language, discouraging English medium of education in India based on the western education policy of Lord Macaulay. It aimed at creating a viable environment for students for higher learning and research in the areas of Vedic literature, Indian philosophy, Indian culture and literature and modern subjects.

Since its inception, the Arya Samaj has been advocating women education. In order to shape this dream, the Kanya Gurukula Mahavidyalaya (K.G.M.) Dehradun was established in 1923 by Late Acharya Ramdevji. Later the Kanya Gurukula Mahavidyalaya, Haridwar was also established in 1993 for Post Graduate Classes. The basic task before the Vishwavidyalaya is to enhance the physical, moral and intellectual strength of both girls and boys and thus to make them ideal citizens, by giving them education of ancient and modern subjects, without any discrimination of caste and creed and untouchability on the pattern of Gurukula system of education which emphasizes healthy and harmonious teacher - taught relationship. The University is situated about 5 km in south from Haridwar Railway Station.

Recognizing the objectives and services of this institution, Government of India in June 1962 conferred on it the status of **"Deemed to be University"** under UGC Act of 1956, Article 3, for imparting education in Vedic literature, Sanskrit literature, Indian philosophy, Hindi literature, English literature, Psychology, Maths and Ancient Indian History Culture & Archaeology; and a number of modern subjects like Physics, Chemistry, Computer Science, Microbiology, Zoology & Environmental Science, Engineering, Ayurvedic Science, Yogic Science, Management Studies, Physical Education, Pharmaceutical Science etc. have also been started. In October 2015 Vishwavidyalaya was awarded **"A" grade by National Assessment & Accreditation Council (NAAC)**. Needless to say that all the degrees conferred by the University are recognised by the Govt. of India/University Grants Commission. The University is a member of the Association of Indian Universities (A.I.U.) and Association of Commonwealth Universities.

स्थापना एवं उद्देश्य

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने सन् 1902 में गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) की स्थापना की थी। भारत में लार्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा नीति के स्थान पर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से वैदिक साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के साथ-साथ आधुनिक विषयों की उच्च शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था।

आर्यसमाज अपने स्थापना के समय से ही स्त्री शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सन् 1923 में स्व० आचार्य श्री रामदेव जी ने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की थी तथा इसी परिप्रेक्ष्य में 1993 में कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार की स्थापना स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए की गई। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जाति और छुआ-छूत के भेदभाव के बिना गुरु-शिष्य परम्परा के अन्तर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर छात्र-छात्राओं को प्राचीन एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास कर चरित्रवान आदर्श नागरिक बनाना है। विश्वविद्यालय हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

जून 1962 में भारत सरकार ने इस शिक्षण संस्था के राष्ट्रीय स्वरूप तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसके अप्रतिम योगदान को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत **"डीम्ड यूनिवर्सिटी"** की मान्यता प्रदान की और विज्ञान एवं कला विषयों में स्नातक तथा वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शन, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, गणित तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था की गई। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त वर्तमान में विश्वविद्यालय में भौतिकी, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान, पर्या. तकनीकी, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, योग विज्ञान, प्रबन्धन व शारीरिक शिक्षा इत्यादि के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थान **'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्' (NAAC)** द्वारा अक्टूबर 2015 में विश्वविद्यालय को **'ए'** ग्रेड से अलंकृत किया गया। विश्वविद्यालय की सभी उपाधियां भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य हैं। यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) तथा कामनवैल्थ विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है।

MANAGEMENT

The Gurukula Kangri (Deemed to be University) is a registered autonomous body. As per the Memorandum of Association (MOA)/ Constitution of the Vishwavidyalaya, it is administered by the following authorities and officers.

Authorities

1. Board of Management
2. Academic Council
3. Finance Committee

Officers

1. Chancellor Dr. Satya Pal Singh
2. Vice-Chancellor Prof. Roop Kishor Shastri
3. Registrar Dr. Sunil Kumar
4. Controller of Examinations Prof. M.R. Verma
5. Finance Officer Prof. S.K. Srivastava
6. Director, IQAC Prof. Shrawan K. Sharma
7. Dean, Faculty of Oriental Studies Prof. Brahmdev
8. Dean, Faculty of Humanities Prof. Ambuj Kumar Sharma
9. Dean, Faculty of Science Prof. L.P. Purohit
10. Dean, Faculty of Life Science Prof. Navneet
11. Dean, Faculty of Technology Prof. Vivek Kumar
12. Dean, Faculty of Mgt. Studies Prof. V.K. Singh
13. Dean, Faculty of Engg. & Tech. Prof. Pankaj Madan
14. Dean, Faculty of Med. Sci. & Health Prof. R.C. Dubey
15. Dean, Faculty of Yoga & Phy. Edu. Prof. R.K.S. Dagar
16. Dean, Faculty of Education Prof. C.P. Khokhar
17. Dean, Student Welfare Prof. Devendra Kumar Gupta
18. Dean, Research Prof. R.C. Dubey
19. Dean, Academic Affairs Prof. D.S. Malik
20. Dean, Green Audit Prof. D.S. Malik
21. Co-ordinator, KGC, Haridwar Prof. Namita Joshi
22. Co-ordinator, KGC, Dehradun Prof. Renu Shukla
23. Head, Ved Deptt. Prof. Dinesh Chandra Shastri
24. Head, Sanskrit Deptt. Prof. Somdev Shatanshu
25. Head, Philosophy Deptt. Prof. Sohan Pal Singh Arya
26. Head, English Deptt. Prof. Shrawan K. Sharma
27. Head, Hindi Deptt. Prof. Ambuj Kumar Sharma
28. Head, Psychology Deptt. Prof. C.P. Khokhar
29. Head, A.I. History, Cult. & Arch. Deptt. Prof. Rakesh Kumar Sharma
30. Head, Maths & Stat. Deptt. Prof. L.P. Purohit
31. Head, Chemistry Deptt. Prof. R.D. Kaushik
32. Head, Physics Deptt. Prof. L.P. Purohit
33. Head, Botany & Microbiology Deptt. Prof. R.C. Dubey
34. Head, Zoology & Env. Sc. Deptt. Prof. D.S. Malik
35. Head, Computer Science Deptt. Prof. K.J. Bhatia
36. Head, Yogic Science Deptt. Prof. Surendra Kumar
37. Head, Management Studies Deptt. Prof. V.K. Singh
38. Head, Pharmaceutical Sc. Deptt. Prof. S.K. Rajput
39. Head, Physical Edu. & Sports Deptt. Prof. R.K.S. Dagar
40. Head, Shardhanand Vedic Shodh Sansthan Prof. Satyadev Nigmalankar
41. Professor Incharge, Central Library Prof. Shrawan K. Sharma

प्रबन्ध व्यवस्था

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है। विश्वविद्यालय के एम.ओ.ए./संविधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रबन्ध व्यवस्था निम्न प्राधिकारियों तथा अधिकारी संवर्ग द्वारा संचालित है।

प्राधिकारी

1. प्रबन्ध मण्डल
2. शिक्षा पटल
3. वित्त समिति

अधिकारी वर्ग

1. कुलधिपति डा. सत्यपाल सिंह
2. कुलपति प्रो. रूप किशोर शास्त्री
3. कुलसचिव डा. सुनील कुमार
4. परीक्षा नियंत्रक प्रो. एम.आर. वर्मा
5. वित्ताधिकारी प्रो. एस.के. श्रीवास्तव
6. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ प्रो. श्रवण के. शर्मा
7. डीन, प्राच्य विद्या संकाय प्रो. ब्रह्मदेव
8. डीन, मानविकी संकाय प्रो. अम्बुज कुमार शर्मा
9. डीन, विज्ञान संकाय प्रो. एल.पी. पुरोहित
10. डीन, जीव विज्ञान संकाय प्रो. नवनीत
11. डीन, प्रौद्योगिकी संकाय प्रो. विवेक कुमार
12. डीन, प्रबन्ध अध्ययन संकाय प्रो. वी.के. सिंह
13. डीन, अभि. एवं प्रौद्यो. संकाय प्रो. पंकज मदान
14. डीन, आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय प्रो. आर.सी.दुबे
15. डीन, योग एवं शारीरिक शिक्षा प्रो. आर.के.एस. डागर
16. डीन, शिक्षा संकाय प्रो. सी.पी. खोखर
17. डीन, छात्र कल्याण प्रो. देवेन्द्र कुमार गुप्ता
18. डीन, रिसर्च प्रो. आर.सी. दुबे
19. डीन, एकेडेमिक अफेयर्स प्रो. डी.एस. मलिक
20. डीन, ग्रीन ऑडिट प्रो. डी.एस. मलिक
21. कोऑर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार प्रो. नमिता जोशी
22. कोऑर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून प्रो. रेनु शुक्ला
23. अध्यक्ष, वेद विभाग प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री
24. अध्यक्ष, संस्कृत विभाग प्रो. सोमदेव शतांशु
25. अध्यक्ष, दर्शन विभाग प्रो. सोहनपाल सिंह आर्य
26. अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग प्रो. श्रवण कुमार शर्मा
27. अध्यक्ष, हिंदी विभाग प्रो. अंबुज कुमार शर्मा
28. अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग प्रो. सी.पी. खोखर
29. अध्यक्ष, प्रा. भा. इति. संस्कृति एवं पुरा.विभाग प्रो. राकेश कुमार शर्मा
30. अध्यक्ष, गणित एवं सांख्यिकी विभाग प्रो. एल.पी. पुरोहित
31. अध्यक्ष, रसायन विभाग प्रो. आर.डी. कौशिक
32. अध्यक्ष, भौतिकी विभाग प्रो. एल.पी. पुरोहित
33. अध्यक्ष, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग प्रो. आर.सी. दुबे
34. अध्यक्ष, जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग प्रो. डी.एस. मलिक
35. अध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग प्रो. कर्मजीत भाटिया
36. अध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग प्रो. सुरेन्द्र कुमार
37. अध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग प्रो. वी. के. सिंह
38. अध्यक्ष, भेषज विज्ञान विभाग प्रो. एस.के. राजपूत
39. अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग प्रो. आर.के. एस. डागर
40. अध्यक्ष, श्रद्धानंद वैदिक शोध संस्थान प्रो. सत्यदेव निगमालंकार
41. प्रोफेसर इंचार्ज, केन्द्रीय पुस्तकालय प्रो. श्रवण कुमार शर्मा

42. Professor Inc., Corp. Aff. & Outreach Cell	Prof. Pankaj Madan
43. Director, Physical Edu. & Sports	Prof. R.K.S. Dagar
44. Chief Proctor	Prof. Dinesh Chandra Shastri
45. Head, Elect. & Commn. Engg. Deptt.	Dr. Vipul Sharma
46. Head, Comp. Sci. & Engg. Deptt.	Dr. Mayank Agarwal
47. Head, Applied Sciences Deptt.	Dr. M.M. Tiwari
48. Head, Computer Center	Prof. Vivek Kumar
49. Dy. Director, IQAC	Prof. Vivek Kumar
50. Public Relation Officer	Dr. Pankaj Kaushik

42. प्रोफेसर इंचार्ज, को. अफे. एवं आऊटरीच सेल	प्रो. पंकज मदान
43. निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	प्रो. आर.के. एस. डगर
44. मुख्य अनुशासन अधिकारी	प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री
45. अध्यक्ष, इलेक्टॉनिक्स एवं कम्प्युनि. इंजी. विभाग	डा. विपुल शर्मा
46. अध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजी. विभाग	डा. मयंक अग्रवाल
47. अध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग	डा. एम.एम. तिवारी
48. अध्यक्ष, कम्प्यूटर केन्द्र	प्रो. विवेक कुमार
49. उप निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.	प्रो. विवेक कुमार
50. जनसंपर्क अधिकारी	डा. पंकज कौशिक

FACILITIES FOR STUDIES

THE LIBRARY

The University-Library has its own history which begins with the foundation of this institution. This library, which has completed its more than 119 years, is a rich depository of thousands of ancient manuscripts and rare books. It is equipped with more than two laksh books on Vedic literature, Sanskrit, Indian philosophy, Aryan literature, Comparative Studies, Science, Management and Technology. University library comprises a rich collection of Vedic & Sanskrit literature, Indian philosophy, Aryan literature, Ancient history & culture together with leading modern subjects. Besides this main library, there are departmental libraries also to facilitate the P.G. students adequately. The Kanya Gurukula Campus, Dehradun and the Kanya Gurukula Campus, Haridwar also have their independent libraries which are equipped with adequate number of books. Around 13032 Journals, 45000 e-Journals and 500 rare manuscripts of different subjects are available in the library by computer networking under U.G.C. E-Shodh-Sindhu programme. Faculty of Engineering & Technology and Faculty of Medical Sciences & Health also have their own rich library also.

ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

The University is embellished with an archaeological museum, which possesses a valuable collection of coins, paintings, sculptures and arms.

N.C.C.

The University has NCC programme to train the students for maintaining discipline and national security.

N.S.S.

In order to develop and help the rural areas, the Vishwavidyalaya has Four units of NSS at undergraduate level aided by the Central & State Governments.

PHYSICAL EDUCATION

In order to develop and enhance physical and mental strength of the students, Vishwavidyalaya has a full-fledged

अध्ययनोपयोगी सुविधाएं

पुस्तकालय

विश्वविद्यालय-पुस्तकालय का इतिहास भी गुरुकुल की स्थापना के साथ ही प्रारम्भ होता है। निरन्तर 119 वर्षों से भी अधिक पोषित यह पुस्तकालय आज वेद, वेदांग, संस्कृत, भारतीय दर्शन, आर्य साहित्य, तुलनात्मक धर्म एवं मानवीय ज्ञान, विज्ञान, प्रबन्धन एवं प्रौद्योगिकी की विविध शाखाओं पर प्रकाश डालने वाले लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्रन्थों से अलंकृत है। सहस्रों दुर्लभ ग्रन्थों एवं अनेक अप्राप्य पत्रिकाओं से समृद्ध यह पुस्तकालय आर्य संस्कृति की धरोहर के रूप में विश्वविख्यात है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय वैदिक एवं संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन, आर्य साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा आधुनिक विषयों में भी अपने समृद्ध संग्रह के कारण देशव्यापी ख्याति प्राप्त पुस्तकालयों में से है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु विभागीय पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था है। कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में अलग पुस्तकालय की व्यवस्था है जिनमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ई-शोध सिन्धु प्रोग्राम के अन्तर्गत पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के लगभग 13032 अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं, 45000 इ-जर्नल एवं 500 दुर्लभ पाण्डुलिपियां कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय तथा आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय के भी अपने-अपने समृद्ध पुस्तकालय हैं।

पुरातत्त्व संग्रहालय

विश्वविद्यालय का संग्रहालय अत्यन्त प्राचीन काल के कला अवशेषों, शस्त्रों व सिक्कों आदि से सुसज्जित है।

एन.सी.सी.

अनुशासन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए छात्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एन. सी. सी. की सुविधा उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

स्नातक स्तर पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चार यूनिट हैं जो ग्रामीण अंचल के विकास में सतत् कार्यरत हैं।

शारीरिक शिक्षा

विश्वविद्यालय में छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग स्थापित है। विश्वविद्यालय में आन्तरिक एवं

Physical Education & Sports Department along with the facilities of outdoor and indoor games. There are also the facilities like multigym with latest machines, computer lab, sports psychology lab, kinesiology lab and departmental library. The Kanya Gurukula Campus provides facilities of physical education independently to the girls. facilities.

LIFE LONG EDUCATION

Under Life Long Education various Vocational Training Programme, Short Term Training & Orientation program in rural and urban areas are conducted by the Vishwavidyalaya.

COMPUTER CENTRE

U.G.C. aided computer centre was established in the University in the academic year 1987-88. This centre is actively engaged in imparting computer education to the students besides making the activities of the University computerised. Internet facility is also available at the computer centre. The various departments of the University and those of the Kanya Gurukula Campus Haridwar and Dehradun have also their own computer labs with computer systems based on modern technology in order to cater to the needs of the students.

V SAT

V SAT sanctioned under UGC-Infonet programme has been established in the computer centre. Internet facility is provided in the computer centre through V SAT.

HOSTEL

Limited hostel facility is available at main campus of the University and Kanya Gurukula Campus, Dehradun.

- Hostel Annual Charges (Gen./OBC) Rs.15000/-
- Hostel Annual Charges (SC/ST/PWD) Rs. 10000/-
- Security Rs. 5000/-
- Food charges on actual basis

- Note :-**
1. Reservation for the students belonging to SC/ST Categories in allotment of seats in hostels is given as per the reservation policy of the Govt. of India.
 2. Kanya Gurukula Campus, Haridwar does not have hostel facility. However, assistance would be given to the students with regard to their stay on actual payment basis.

CORPORATE AFFAIRS AND OUTREACH CELL

Corporate affairs and outreach cell is established in the University. This cell provides platform to organize campus interviews for the students of various courses by inviting reputed companies. However, the cell has no responsibility to recruit them in the companies. It is to be mentioned that for the last several years many students got employment in reputed companies through the placement cell.

बाह्य खेलों के लिए विस्तृत मैदान तथा सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभाग में आधुनिकतम मशीनों से युक्त व्यायामशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला, खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला, किन्सयोलॉजी प्रयोगशाला एवं विभागीय पुस्तकालय की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। कन्या गुरुकुल परिसरों में शारीरिक शिक्षा की सुविधा छात्राओं के लिए अलग से उपलब्ध है।

आजीवन शिक्षा

आजीवन शिक्षा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण, लघु प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्चा कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान से विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना सत्र 1987-88 में की गई थी। यह केन्द्र व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के पठन-पाठन व विश्वविद्यालय के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण में निरन्तर कार्यरत है। कम्प्यूटर केन्द्र में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों एवं कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून व हरिद्वार में छात्र-छात्राओं की आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जिनमें आधुनिकतम तकनीक पर आधारित कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध हैं।

वी सेट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यू.जी.सी.-इन्फोनेट प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृत वी सेट की स्थापना कम्प्यूटर केन्द्र में की गयी है। वी सेट के माध्यम से इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

छात्रावास

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर व कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है।

- छात्रावास व्यय वार्षिक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) ₹0 15000/-
- छात्रावास व्यय वार्षिक (अनु.जाति/अनु.जनजाति/निशक्त) ₹0 10000/-
- सुरक्षा धन ₹0 5000/-
- भोजन वास्तविक व्यय आधार पर

- नोट :-**
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रावासों के सीट आवंटन में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।
 2. कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्राओं के निवास के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर व्यवस्था में सहायता की जाती है।

कॉरपोरेट अफेयर्स एवं आउटरिच सेल

विश्वविद्यालय में कॉरपोरेट अफेयर्स एवं आउटरिच सेल स्थापित है। इस सेल द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों से सम्पर्क कर कैम्पस साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है। अतः सेल का कार्य केवल विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठानों में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की व्यवस्था कराना है। यह सेल किसी कम्पनी में छात्र/छात्राओं को नियुक्त कराने के लिये उत्तरदायी नहीं है। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में अनेक छात्र/छात्राओं को प्रतिष्ठित कम्पनियों में प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है।

SCHEDULED CASTE/ SCHEDULED TRIBE CELL

The SC/ST cell has been established in the University under xth plan. The main objectives of this cell are to implement the reservation policy of Government of India effectively and provide necessary assistance to the students belonging to SC/ST category in order to resolve their academic and administrative problems.

The SC/ST Cell may provide guidance to the students belonging to SC/ST/OBC/Minority Category for free Remedial Coaching in the University sponsored by UGC New Delhi.

EMPLOYMENT AND COUNSELING CENTRE

In order to furnish the students with the information of various courses, entrance examinations, scholarships etc. employment and counseling centre has been established by the employment assistance directorate of the state government. The centre in collaboration with the placement cells of the concerned Departments / Faculty and Kanya Gurukula Campus Haridwar /Dehradun help in providing the information about the job opportunities of training and employment to the students.

RESEARCH SCHOLARSHIPS

Research Fellowships are awarded as per norms of C.S.I.R./U.G.C. to those students who pass the NET examination conducted at all India level by the C.S.I.R. and the U.G.C.

RESERVATION

Reservation for the students belonging to Other Backward Class (OBC) Economically Weaker Section (EWS)/Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST)/Person with Disabilities (PWD) Categories is given as per the reservation policy of the Govt. of India.

RESERVATION CATEGORY

A	: OBC	27% (Non-creamy layer)*
B	: SC	15%
C	: ST	7.5%
D	: Economically Weaker Section (EWS)	10%
E	: PWD (Person with Disabilities)	5% (Horizontal)
F	: Staff Ward (GKDU) [#]	20% (Horizontal)

[#] For Staff Ward of Gurukula Kangri (Deemed to be University)

Note:-

1. For O.B.C. Category, Caste Certificate issued by the Govt. of India will be accepted only.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीतियों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराना एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।

प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा पोषित निःशुल्क रेमेडियल कोचिंग के लिए छात्र/छात्राओं को मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकता है।

सेवा योजना एवं मंत्रणा केन्द्र

छात्रों को पठन-पाठन, विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं, छात्रवृत्ति आदि की समग्र जानकारी देने हेतु सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र प्रदेश सरकार के सेवा योजना एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित है। यह केन्द्र सम्बन्धित विभागों के प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रकोष्ठों की सहायता से एवं कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार व देहरादून के विभागीय उपकेन्द्रों के सहयोग से छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है।

अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ

अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (C.S.I.R.)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा (NET) में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पी-एच. डी. करने के लिए परिषद्/अनुदान आयोग के नियमानुसार अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

आरक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निशक्त वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश में भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है।

आरक्षण वर्ग

A	: अन्य पिछड़ा वर्ग	27% (नॉन क्रीमीलेयर)*
B	: अनुसूचित जाति	15%
C	: अनुसूचित जनजाति	7.5%
D	: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10%
E	: दिव्यांग	5% (क्षैतिज)
F	: स्टाफ वार्ड (गु.का.समवि.) [#]	20% (क्षैतिज)

[#] गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के स्टाफ वार्ड के लिये

नोट:-

1. अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए केवल भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

2. Reservation category A,D, E & F seats, if vacant, may be filled amongst general category candidates.

Reservation for Other Backward Class (OBC) category shall be given as per The Central Educational Institution (Reservation in Admission) Act, 2006 No. 5 of 2007. The OBCs who are eligible for availing the benefits of reservation should be from the central list of Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) / Other Backward Classes (OBCs) as per Resolution No. 12011/68/93 DCC (C) of the Ministry of Welfare (now the Ministry of Social Justice and Empowerment) as modified from time to time and the rules/criteria of exclusion of socially advanced persons/sections. For an updated list of state-wise OBCs eligible for availing benefits of reservation, see the list mentioned by the National Commission for Backward Classes (NCBC) at its website : <http://ncbc.nic.in>.

*Candidates belonging to "creamy layer" (As per the resolution No. 1-1/200 5-V, 1A/846 dated 20th April, 2008 of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education and amended from time to time), shall not be entitled to avail the benefit of reservation for OBCs.

2. आरक्षण वर्ग A,D, E एवं F की सीटें रिक्त रहने पर सामान्यवर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जा सकती हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में आरक्षण केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) एक्ट, 2006 सं. 5ए जनवरी 2007 के अनुसार प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जो कि रेजल्यूशन नं0 12011/68/93 DCC (C) कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण) के तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs)/ अन्य पिछड़े वर्ग (OBCs) की केन्द्रीय सूची एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों तथा सामाजिक रूप से अगड़े (सम्पन्न) व्यक्ति/वर्ग को इससे अपवर्जित करने हेतु दिये गये नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार ही आरक्षण के पात्र होंगे। राज्यवार अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की नवीनतम सूची के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) की वैबसाइट : <http://ncbc.nic.in> का अवलोकन करें।

*क्रीमीलेयर के अन्तर्गत (रेजल्यूशन नं0 1-1/200 5-V, 1A/846 dated 20th April, 2008 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधनों सहित) आने वाले अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

ADMISSION CRITERIA (Full Time/Part-Time Ph.D. Programme)

HOW TO APPLY

Application form, Information Brochure for admission to Ph.D. programme (Full time/Part time) can be obtained from the office of **Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University)**, Haridwar by paying **Rs. 500/-** in cash or by sending a demand draft of **Rs.500/-** to **Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University)**, Haridwar. The demand draft should be in favour of "**Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University)**" payable at **Haridwar**. Application form can also be downloaded from **www.gkv.ac.in**

The candidates appearing in the final year of qualifying examination are also eligible to apply. Such candidates will have to submit compulsorily their complete final result of qualifying examination at the time of Interview before the Departmental Research Committee (DRC), failing which their candidature shall stand cancelled.

Completely filled in Application form for admission shall be submitted to the office of **Registrar, Gurukula Kangri (Deemed to be University)**, Haridwar. **Online/ downloaded application from website will be accepted alongwith demand draft of Rs. 500/-.**

Note:-

1. Candidates can also apply online. Prescribed fee shall be paid by the candidate while submitting the online application.
2. For offline application, write the name of the main subject (with code) applied on the top of the envelop and your name and main subject (with code) on the back of the demand draft while submitting application form.
3. Application Fee shall neither be returned in any case nor transferred to any other course.

प्रवेश प्रक्रिया (पूर्णकालिक/अंशकालिक पी-एच.डी प्रोग्राम)

आवेदन कैसे करें

पी-एच.डी. प्रोग्राम (पूर्णकालिक/अंशकालिक) में प्रवेश हेतु प्रवेश के लिए आवेदन पत्र तथा विवरणिका एवं नियमावली **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)**, हरिद्वार के कार्यालय से **₹ 500/-** के नकद भुगतान पर अथवा **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)** के पक्ष में **हरिद्वार** में देय **₹ 500/-** का डिमान्ड ड्राफ्ट **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)**, हरिद्वार को डाक द्वारा भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र **www.gkv.ac.in** से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

अंतिम वर्ष की अर्हता परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी अर्हता परीक्षा का अन्तिम पूर्ण परीक्षा परिणाम विभागीय शोध समिति (**DRC**) के समक्ष साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा जिसके अभाव में उसकी पात्रता निरस्त समझी जायेगी।

प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र **कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय)**, हरिद्वार के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। **ऑनलाइन/वेबसाइट से डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र ₹ 500/- के डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ स्वीकार्य होंगे।**

नोट:-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों के लिये आवेदन ऑनलाइन करते समय निर्धारित शुल्क देय होगा।
2. ऑफलाइन आवेदन के लिये आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर मुख्य विषय (कोड सहित) का नाम तथा ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मुख्य विषय (कोड सहित) अवश्य अंकित करें।
3. आवेदन शुल्क किसी भी अवस्था में वापस नहीं किया जायेगा और न ही अन्य किसी पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।

ADMISSION PROCEDURE

Admissions and registration to programmes leading to Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in various subjects/ disciplines (Table-1) shall be done as per UGC norms and as approved by the Academic Council of the Vishwavidyalaya from time to time. The admission to the said programme shall be given to NET/NET-JRF/SLET/SET/GATE/M.Phil. (admitted through entrance test) qualified candidates.

The Ph.D. programme will be allowed in those subjects in which permission were given by the University Grants Commission, New Delhi/Academic Council of Gurukula Kangri (Deemed to be University) will continue. The subjects approved by Academic Council for Ph.D. programme shall be covered by these rules and regulations.

No. of vacant in each subject as has been shown in table-1.

ELIGIBILITY

Admission to the Ph.D. programme shall have a Master's degree in main subject/ allied subject or a professional degree declared equivalent to the Master's degree by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).

A relaxation of 5% of marks from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, shall be allowed for those belonging to SC/ST/OBC(Non-Creamy Layer)/PWD Differently-Abled) and other categories of candidates as per the decision of the UGC/Govt. of India from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

Note:-

- (i) A candidate holding Acharya Degree in allied subjects which are given in Table-1 with atleast 55% marks in aggregate from a recognised University/Institution shall also be eligible for registration in Ph.D. degree in Veda, Sanskrit, Philosophy & Yoga subjects.
- (ii) Candidate must check carefully and ensure that he/she fulfills the minimum eligibility mentioned in the Information Broucher and Rules & Regulations before submitting the application form. If the candidate's eligibility is found incomplete/incorrect at any stage during admission process and after admission, his/her admission will be cancelled for which he/she will be solely responsible.

प्रवेश विधि

विभिन्न विषयों (सारणी-1) में पी-एच.डी. डिग्री के लिये पंजीयन तथा प्रवेश समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृति नियमों से किये जायेंगे। पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश नेट/नेट-जे.आर.एफ./सेट/स्लेट/गेट/एम.फिल. (प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिये जायेंगे।

पी-एच.डी. प्रोग्राम की अनुमति केवल उन्हीं विषयों में होगी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) की शिक्षा पटल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। शिक्षा पटल द्वारा स्वीकृत विषय इन नियम-उपनियमों के अधीन होंगे।

प्रत्येक विषय में पी-एच. डी. के लिये रिक्त सीटों की संख्या सारणी-1 में दर्शायी गयी है।

अर्हताएँ

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी अर्ह माने जायेंगे जिनके पास सम्बन्धित मुख्य विषय/एलाइड विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यवसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष साविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के तुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त हुये हों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर लाभान्वित श्रेणी)/निशक्त एवं समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिये अथवा दिनांक 19 सितम्बर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिये 55% में 5% अंकों की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी। 55% अर्हता अंक में अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% प्रतिशत की छूट केवल अर्हक अंकों/ग्रेडों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती (ग्रेस) अंक शामिल नहीं है।

नोट:-

- (i) वेद, संस्कृत, दर्शन एवं योग विषयों में पी-एच.डी. उपाधि में पंजीयन हेतु वे अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आचार्य की उपाधि उन एलाइड विषयों के साथ न्यूनतम 55% अंकों सहित उत्तीर्ण की हो जो सारणी-1 में दिये गये हैं।
- (ii) आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता की सावधानी पूर्वक जाँच कर सुनिश्चित कर लें कि वे विवरणिका एवं नियमावली के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तथा प्रवेश के उपरान्त यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की अर्हता अपूर्ण/असत्य पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

Direct Admission of the candidate for Ph.D. programme

Those candidates who fulfil one of the following requirements may be considered for Direct Admission to Ph.D. programme.

- (i) A candidate who has passed NET-JRF/NET/SLET/SET/GATE/M.Phil examination. GATE/SET/SLET Certificate should be valid as on last date of application.
- (ii) A candidate who is a teacher fellowship holder selected under Quality Improvement Programme (QIP) /Faculty Development Programme (FDP)/Faculty Improvement Programme (FIP).

Procedure

- List of eligible candidates for admission to Ph.D. programme shall be provided by the Registrar to the concerned Head of the Department.
- The above eligibility of the candidates will be valid for current academic session only. The eligible candidates will be called for interview to discuss their research interest/area before the Departmental Research Committee (DRC) chaired by Head of the concerned department.
- An interview/viva-voce test shall be organized by the University and the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Departmental Research Committee. The interview/viva voce test shall also evaluate the following aspects, viz. whether:
 - (a) The candidate possesses the competence for the proposed research;
 - (b) The research work can be suitably undertaken at the department/Campus;
 - (c) The proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.
- Final selection of the candidate shall be made on the basis of the Interview. In the Interview the candidates are required to discuss their research interest/area. The seat shall remain vacant in the concerned subject, if any candidate is not found suitable even after the completion of the above process.
- A supervisor shall be allocated to the selected candidate in the meeting of Departmental Research Committee subject to availability of seats and supervisor's consent only, keeping in view the specialization of the supervisor as well as the research interest of the candidate during his/her interview. The allocation/allotment of supervisor shall not be left to individual student or teacher.

पी-एच.डी. प्रोग्राम में सीधे प्रवेश

उन अभ्यर्थियों को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश दिया जायेगा जो निम्न में से कोई एक अर्हता रखते हों:-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नेट-जे.आर.एफ./ नेट/ स्लेट/ गेट/ एम.फिल. परीक्षा उत्तीर्ण की हो। गेट/स्लेट/सेट प्रमाण पत्र आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि तक वैध होना आवश्यक है।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्वालिटी इम्पूवमेन्ट प्रोग्राम (QIP)/ फ़ैकल्टी डवलमेन्ट प्रोग्राम (FDP)/ फ़ैकल्टी इम्पूवमेन्ट प्रोग्राम (FIP) के अन्तर्गत फेलोशिप प्रदान की गई हो।

विधि

- अर्ह अभ्यर्थियों की सूची कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- अभ्यर्थियों की उपरोक्त पात्रता केवल इसी शैक्षिक सत्र के लिए मान्य होगी। अभ्यर्थियों को उनके शोध क्षेत्र/रुचि के बारे में विचार विमर्श हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार/मौखिकी परीक्षा ली जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के लिये उनके शोध रुचि/क्षेत्र पर विचार विमर्श एक विधिवत गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार/मौखिकी परीक्षा में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जायेगा:-
 - (a) अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिये क्षमता है;
 - (b) प्रस्तावित शोध कार्य सुलभतापूर्वक विभाग/परिसर में क्रियान्वित किया जा सकता है;
 - (c) प्रस्तावित शोध से नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।
- अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से चयन विभागीय समिति के समक्ष साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की रुचि/क्षेत्र के संबंध में विचार विमर्श किया जायेगा। यदि उक्त प्रक्रिया के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित विषय में वह स्थान रिक्त रहेगा।
- चयनित अभ्यर्थी के लिए निर्देशक का निर्धारण विभागीय शोध समिति द्वारा किया जाएगा जो कि शिक्षक के अन्तर्गत उपलब्ध सीट, उसकी सहमति व विषय विशेषज्ञता एवं अभ्यर्थी की उस क्षेत्र में शोध रुचि पर आधारित होगा। निर्देशक का चयन व्यक्तिगत छात्र/छात्रा एवं शिक्षक पर नहीं छोड़ा जाएगा।

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF INTERVIEW/ DISCUSSION BEFORE DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE

Applicant must bring the following documents at the time of interview/
discussion before the Departmental Research Committee:

- Copy of Application form
- Attested/self attested copy of high school or equivalent examination certificate
- Attested/self attested copy of high school or equivalent examination marksheet.
- Attested/self attested copy of Intermediate (10+2) or equivalent examination marksheet
- Attested/self attested copies of marksheets of all years/ semesters of graduation
- Attested/self attested copies of marksheets of all years/ semesters of post graduation
- Attested/self attested copies of NET-JRF/NET/SLET/ GATE/M.Phil/Teacher fellowship holder certificate.
- Character certificate (original copy)
- Reservation category certificate (attested/Self attested copy)
- Attested/self attested copy of caste certificate issued by competent authority.
- No objection certificate from Employer (if applicable)
- Attested/self attested copy of the certificate of physically disabled candidates issued by District CMO
- **Original copy of all the above certificates/documents (for verification).**

Note:-For OBC category, the caste of the candidates should be in the central OBC list available on NCBC website and OBC certificate issued as per Govt. of India format only will be accepted. OBC certificate on the State Govt. format will not be accepted.

विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/परिचर्चा के समय जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति के समक्ष साक्षात्कार/परिचर्चा के समय निम्न प्रपत्रों सहित सम्बन्धित विभाग में आना होगा:-

- आवेदन पत्र की प्रति
- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
- हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
- इण्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
- स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के अंक पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
- स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के अंक पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि
- नेट-जे.आर.एफ./नेट/स्लेट/ गेट/एम.फिल/फैकल्टी इम्प्रूवमेन्ट प्रोग्राम (FIP) के अन्तर्गत अध्ययतिवृत्ति धारक शिक्षक के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि
- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र (प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र (प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)
- नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)
- **उपरोक्त सभी प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ (जाँच हेतु)**

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की NCBC वेबसाइट पर उपलब्ध केन्द्रीय सूची में होनी चाहिये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का केन्द्रीय प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। राज्य सरकार के प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

Ph.D. PROGRAMME (FULL TIME)

[As per University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./Ph.D Degrees) Regulations, 2016 {In supersession of the UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, notified in The Gazette of India (No. 28, Part III- Section 4) for the week July 11-July 17, 2009}].

1. DURATION OF THE Ph.D. PROGRAMME

- (i) Ph.D. programme shall be for a minimum duration of 3 years, including course work and a maximum of 6 years. Extension beyond the above limits will not be permissible.
- (ii) The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. The women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.

2. Ph.D. COURSE WORK

- (i) After being selected for Ph.D. programme a student shall be required to undertake **Course Work** for a minimum period of **one semester**. The course work shall be of **14 credits**. The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. programme and shall include a course on research methodology (**6 Credits**) which include quantitative methods & computer applications. There shall be a course on Research & Publication Ethics (**2 Credits**). It may also consist of review of published work in the relevant field. The course shall also contain contents pertaining to that particular subject (**6 Credits**). The Course Work shall have following three papers

Paper-1	Research Methodology	6 credits
Paper-2	Research Publication Ethics (RPE)	2 credits
Paper-3	Subject Specific	6 credits
- (ii) It will be mandatory for each candidate to pass this course to be conducted by the University for each subject.
- (iii) There will be three papers of 100 marks each in Ph.D. course work. In each paper there shall be end semester examination of 70 marks. 30 marks in each paper shall be for internal assessment out of which 20 marks shall be for written test (term paper) & 10 marks shall be given by the supervisor of the candidate on the

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (पूर्णकालिक)

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया विनियम, 2016) {11 से 17 जुलाई 2009 के सप्ताह में भारत के राजपत्र (संख्या 28, भाग-3 धारा-4) में अधिसूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएचडी) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम 2009 के प्रतिस्थापन में}]

1. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि

- (i) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। उपर्युक्त सीमा के अतिरिक्त कोई भी समय विस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ii) महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40%से अधिक हो) के लिये पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की उपरोक्त अधिकतम अवधि में दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। महिला अभ्यर्थियों को पी-एच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

2. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य

- (i) पी-एच.डी. प्रोग्राम में चयन होने के उपरान्त शोधार्थी को न्यूनतम एक सेमेस्टर अवधि का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा। पाठ्यक्रम कार्य कुल **14 क्रेडिट** का होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की पूर्व तैयारी का माना जायेगा। इसमें शोध पद्धति (**6 क्रेडिट**) का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिमाणात्मक पद्धति (Quantitative Method) एवं कम्प्यूटर प्रयोग सम्मिलित होगा। इसमें शोध तथा प्रकाशन आचार-विचार का एक अन्य प्रश्न पत्र भी शामिल होगा (**2 क्रेडिट**)। इसमें सम्बन्धित अध्ययन क्षेत्र में किए गये शोध प्रकाशनों की समीक्षा भी शामिल है। इस पाठ्यक्रम में विषय विशेष से सम्बन्धित विषय वस्तु भी सम्मिलित होगी (**6 क्रेडिट**)।
पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में निम्न तीन प्रश्न पत्र होंगे :-

प्रथम प्रश्न पत्र	शोध पद्धति	6 क्रेडिट
द्वितीय प्रश्न पत्र	शोध एवं प्रकाशन आचार विचार	2 क्रेडिट
तृतीय प्रश्न पत्र	विषय विशेष सम्बन्धित	6 क्रेडिट
- (ii) प्रत्येक शोधार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक विषय के लिये निर्धारित पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
- (iii) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में 100-100 अंकों के तीन प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंकों की परीक्षा सेमेस्टर के अन्त में होगी तथा 30 अंकों का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन होगा जिसमें से 20 अंक लिखित परीक्षा/समयावधि परीक्षा (Term Paper) के लिए निर्धारित होंगे तथा 10 अंक शोधार्थी के निर्देशक द्वारा साहित्य सर्वेक्षण (Literature

basis of literature survey, review of research papers, presentation & attendance etc. The written test of 20 marks of each paper of internal assessment shall be evaluated by the concerned teaching faculty who has taught the course. The minimum pass percentage in each paper of the Ph.D. course work will be 55% (B Grade in 7 Point Grading System) and candidates will have to pass all the papers.

- (iv) The candidate shall be given maximum of two successive attempts to pass this course.
- (v) If a candidate fails to pass this course in two attempts, his/her candidature for registration shall be cancelled.
- (vi) This course work shall be run by the concerned department for male candidates in main campus and for female candidates in Kanya Gurukula Campus, Haridwar/Dehradun.

3. CONSTITUTION AND FUNCTION OF DEPARTMENTAL RESEARCH COMMITTEE (DRC)

The Departmental of Research Committee (DRC) shall be constituted as follows:-

- (i) Head of the Department-Chairman & Convener
- (ii) All Professors of the Department
- (iii) All Associate Professors of the Department
- (iv) All Assistant Professors of the Department who are eligible to be a research guide.

The DRC will make a final selection of the candidates against the available seats in the Department after assessing the presentations of all the candidates regarding their research proposal/areas given before it. It will then nominate research advisory committee for each selected candidates for helping him/her in preparing Synopsis to be presented in the RDC.

The DRC also will monitor the research activities and research projects of the concerned department.

4. PROCEDURE FOR REGISTRATION AND FUNCTION OF THE RESEARCH DEGREE COMMITTEE (RDC)

- (i) The eligible candidates for Ph.D. degree shall submit their application/registration form alongwith a synopsis of the proposed topic in ten copies (typed/printed) recommended by his/her supervisor and R.A.C., forwarded by head of department to the office of Registrar.
- (ii) The candidate should write his/her name, complete postal address and contact number at the front page of the synopsis.
- (iii) The application form and synopsis for Ph.D. registration, complete in all respects shall be placed before the RDC

survey), शोध पत्रों की समीक्षा (Review of Research Papers), प्रस्तुतीकरण (Presentation) एवं उपस्थिति आदि के आधार पर दिए जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के 20 अंकों वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन सम्बन्धित प्राध्यापक करेंगे जिन्होंने वह प्रश्न पत्र पढ़ाया हो। पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 55% (B ग्रेड 7-पाइंट ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर) होंगे तथा अभ्यर्थी को सभी प्रश्न पत्र उत्तीर्ण करने होंगे। शोधार्थी को इस पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए लगातार अधिकतम दो अवसर प्रदान किए जायेंगे।

- (iv) यदि शोधार्थी लगातार दो अवसरों में भी इस पाठ्यक्रम कार्य को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसकी पंजीकरण हेतु पात्रता निरस्त मानी जायेगी।
- (v) यह पाठ्यक्रम कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परिसर में तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार/देहरादून में चलाया जायेगा।

3. विभागीय शोध समिति का गठन एवं कार्य

विभागीय शोध समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- (i) विभागाध्यक्ष-चेयरमैन एवं संयोजक
- (ii) विभाग के समस्त प्रोफेसर
- (iii) विभाग के समस्त एसोसिएट प्रोफेसर
- (iv) विभाग के समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर जो शोध निर्देशक बनने के लिये अर्ह हों।

विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) सभी अर्ह अभ्यर्थियों के द्वारा उसके समक्ष शोध प्रस्ताव/क्षेत्रों पर दिये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर विभाग में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष शोध छात्र/छात्राओं का अन्तिम चयन करेगी। इसके उपरान्त यह प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिये एक शोध सलाहकार समिति (आर.ए.सी.) मनोनीत करेगी जो शोधार्थी के द्वारा आर.डी.सी. में प्रस्तुत करने हेतु शोध रूप रेखा (सिनोपसिस) तैयार करने में उसकी सहायता करेगी।

विभागीय शोध समिति विभाग की शोध परियोजनाओं एवं शोध क्रिया कलापों की देखरेख भी करेगी।

4. पंजीयन प्रक्रिया एवं शोध उपाधि समिति के कार्य

- (i) शोध उपाधि हेतु अर्ह अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र प्रस्तावित विषय की प्रस्तावना एवं रूपरेखा (Synopsis) की टंकित या मुद्रित 10-10 प्रतियों सहित अपने निर्देशक तथा शोध सलाहकार समिति की संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष से अग्रसारित करवाकर कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करेगा/करेगी।
- (ii) रूपरेखा के प्रथम पृष्ठ पर शोधार्थी द्वारा अपना नाम पूर्ण पता एवं फोन नं. अवश्य अंकित करना चाहिए।
- (iii) शोध उपाधि पंजीयन हेतु प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र एवं रूपरेखा सम्बन्धित विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष प्रस्तुत किये

of the concerned subject. The notice of the meeting of RDC shall be given to the candidate and the supervisor well in advance by the convener of RDC so that the candidate may defend the proposed topic in the meeting. It will be compulsory for the candidate to be present before the RDC.

- (iv) The RDC shall be constituted as follows:-
- Vice Chancellor - Chairman
 - Dean of the Faculty
 - Two subject experts appointed by the Vice-Chancellor (tenure 3 years)
 - Head of the Department - Convener
 - All Professors of the Department
 - One Associate Professor of the Department in order of seniority (tenure 3 years)
 - One Assistant Professor of the Department who is eligible to be research guide in order of seniority (tenure 3 years)
- (v) The meeting of RDC shall be held once a year arranged by the Convener. Vice-Chancellor shall be the Chairperson of this meeting.
- (vi) The candidate shall have to submit the migration certificate within three months from the date of admission in Ph.D. course work. In case he/she fails to do so, he/she shall not be permitted to appear in the Ph.D. course work examination.

5. Research Advisory Committee (RAC) and its functions

- There shall be a Research Advisory Committee for each Ph.D. scholar. The Research Supervisor of the scholar shall be the Convener of this Committee. The RAC shall be constituted as follows:
- One Professor/Head of the Department - Chairman
 - One Professor/Assoc. Professor/Asst. Professor - Member (In case there are less than three regular faculty members in the concerned Department, Professor/Associate Professor/Assistant Professor of other Departments can be nominated as a member of RAC with the prior approval of the Vice-Chancellor)
 - Supervisor - Convener

This Committee shall have the following responsibilities:

- To review the research proposal and finalize the topic of research;
- To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

जायेंगे। शोध उपाधि समिति की बैठक की सूचना संयोजक द्वारा शोधार्थी एवं निर्देशक को यथा समय दे दी जायेगी ताकि वे प्रस्तावित विषय के बचाव (Defend)/स्पष्टीकरण करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित रह सकें। शोधार्थी के लिए शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

- (iv) शोध उपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-
- कुलपति-अध्यक्ष
 - संकाय के संकायाध्यक्ष
 - कुलपति द्वारा मनोनीत दो विषय विशेषज्ञ (कार्यकाल 3 वर्ष)
 - विभाग के विभागाध्यक्ष-संयोजक
 - विभाग के समस्त प्रोफेसर
 - विभाग का वरिष्ठता क्रम में एक एसोसिएट प्रोफेसर (कार्यकाल 3 वर्ष)
 - विभाग का वरिष्ठता क्रम में एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो निर्देशक बनने के लिये अर्ह हो (कार्यकाल 3 वर्ष)
- (v) शोध उपाधि समिति की बैठक वर्ष में एक बार संयोजक द्वारा आहूत की जायेगी। कुलपति इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (vi) अभ्यर्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश की तिथि से तीन माह के अंदर प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जमा करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता/रहती है तो ऐसे अभ्यर्थी को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. शोध सलाहकार समिति और उसके कार्य

- प्रत्येक पी-एच.डी. शोधार्थी के लिये इसी प्रयोजनार्थ एक शोध सलाहकार समिति होगी। शोधार्थी का शोध निर्देशक इस समिति का समन्वयकर्ता होगा। शोध सलाहकार समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:

- एक प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष-अध्यक्ष
- एक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर-सदस्य (सम्बंधित विभाग में नियमित रूप से कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या 3 से कम होने की स्थिति में किसी अन्य विभाग के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर को कुलपति की पूर्व स्वीकृति के उपरांत शोध सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया जा सकता है)
- निर्देशक-समन्वयक

इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:-

- शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना
- शोधार्थी को अध्ययन ढाँचे तथा पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।

- (iii) To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.
- A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports of the scholar shall be submitted by the Research Advisory Committee to the Registrar through the Head of the Department with a copy to the research scholar.
 - In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend with the approval of the DRC to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

6. ELIGIBILITY CRITERIA FOR Ph.D. SUPERVISOR AND CO-SUPERVISOR

- (i) Only full time regular teacher of the University shall act as a supervisor. The external supervisors will not be allowed. However, Co-supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the University or from outside Academic/Research Institutions with the approval of the RDC.
- (ii) Any regular Professor of Gurukula Kangri (Deemed to be University) with at least five research publications in UGC CARE Listed Journals and any regular Associate Professor of the University with a Ph.D. degree and atleast three research publications in UGC CARE Listed Journals shall act as Research Supervisor/Co-supervisor. Regular Assistant Professor working in University having the following qualification may also be research supervisor/co-supervisor:
- He/she must possess Ph.D. degree with at least three years of regular teaching experience (on UGC scale) of PG classes and should have published three research papers in UGC CARE Listed Journals.

OR

He/she must possess Ph.D. degree with at least five years of regular Post Doctoral Fellow (PDF) experience (with documentary support) and should have at least five

- (iii) शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।
- शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा। शोध सलाहकार समिति द्वारा शोधार्थी की षड्मासिक प्रगति रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेज दी जाएगी।
 - यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, शोध सलाहकार समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.) की स्वीकृति के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसकी सिफारिश कर सकती है।

6. शोध निर्देशक एवं सह-निर्देशक के लिए पात्रता मापदण्ड

- (i) केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही निर्देशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य निर्देशकों को अनुमति नहीं होगी। तथापि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों से अथवा अन्य शैक्षणिक/शोध संस्थानों से अंतर-विषयी क्षेत्रों में सह-निर्देशकों को शोध उपाधि समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- (ii) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) का कोई भी नियमित रूप में नियुक्त प्रोफेसर जिन्होंने यू.जी.सी. की केयर सूची में दिए गए शोध पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध पत्र प्रकाशित किये हों तथा विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रूप से नियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर जो पी-एच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिनके यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित हुए हों वे शोध निर्देशक/सह-निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे।
- विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न योग्यता धारक नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर भी शोध निर्देशक/सह-निर्देशक हो सकते हैं:-
डाक्टरेट (Ph.D.) उपाधि प्राप्त ऐसे नियमित शिक्षक जिन्हें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का लगातार न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव (यू.जी.सी. वेतनमान पर) हो तथा जिनके तीन शोध पत्र किसी यू.जी.सी. की सूची (केयर सूची) में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हों।

अथवा

डॉक्टरेट (Ph.D) उपाधि प्राप्त ऐसे नियमित शिक्षक जिन्हें न्यूनतम पांच वर्ष का लगातार पोस्ट डॉक्टरल फ़ैलो (पी.डी.एफ.) का अनुभव (डॉक्यूमेंट्री प्रमाण के साथ) हो तथा जिनके पोस्ट-डॉक्टरल फ़ैलो के दौरान

research papers published in CARE UGC Listed Journals during Post Doctoral Fellow. Eligibility of such faculty member to act as supervisor shall be approved by RDC.

OR

A regular teacher holding Ph.D. degree with at least one year of PG teaching experience in this University and should have published two research papers in UGC CARE Listed Journals during this interval.

- (iii) Irrespective of the clauses mentioned above, existing supervisor shall continue to supervise the Ph.D. thesis.
- (iv) In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Co-Supervisor from outside the concerned Department of the University or from outside the University on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions.
- (v) A co-supervisor from the other department of the University with the above qualifications may be appointed on the request of research scholar with the recommendation of research advisory committee and approval of RDC. An eminent scholar from outside the University working in teaching /research organization having expertise in the subject of research may be permitted to act as co-supervisor on the recommendation of RAC & approval of RDC.
- (vi) The faculty members of Gurukula Kangri (Deemed to be University) having five years full time regular teaching experience of under graduate classes and have published atleast five research papers in UGC CARE Listed Journals after the award of Ph.D. degree may be appointed as co-supervisor with the approval of RDC on the recommendation of RAC and the concerned Head.

Note: In areas/disciplines where there is no or only a limited number of UGC Listed Journals, University may relax the above condition for recognition of a Teacher as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

न्यूनतम पाँच शोध पत्र किसी यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हों। ऐसे शिक्षकों की शोध निर्देशक बनने की अर्हता/पात्रता शोध उपाधि समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

अथवा

डाक्टरेट (Ph.D.) उपाधि प्राप्त ऐसे नियमित शिक्षक जिन्हें इस विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो तथा जिनके इस अन्तराल में दो शोध पत्र यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हों।

- (iii) उपरोक्त नियमों से इतर विश्वविद्यालय के वर्तमान में जो शिक्षक शोध निर्देशक का कार्य कर रहे हैं वे पी-एच.डी. शोध निर्देशक बने रहेंगे।
- (iv) ऐसे शोध शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के हैं जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए उस स्थिति में विभाग द्वारा सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है जो कि विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग के बाहर अथवा विश्वविद्यालय के बाहर से हो ऐसी निबंधन व शर्तों पर जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।
- (v) शोधार्थी की प्रार्थना पर उपरोक्त योग्यताधारक विश्वविद्यालय के किसी अन्य विभाग का शिक्षक शोध सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत किये जाने एवं शोध उपाधि समिति की स्वीकृति पर किये जाने पर सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय से बाहर के किसी विशिष्ट विद्वान्, जो अध्यापन/शोध संस्थान में कार्यरत हो तथा सम्बन्धित शोध विषय में निपुण हो, को शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर शोध उपाधि समिति की पूर्व स्वीकृति के आधार पर ही सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है।
- (vi) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के ऐसे स्थाई एवं नियमित शिक्षक जिन्हें स्नातक कक्षाओं का पांच वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव हो तथा पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में पांच शोध पत्र प्रकाशित कराये हों, उन्हें शोध सलाहकार समिति एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शोध उपाधि समिति की अनुमति के साथ सह-निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है।

नोट:—उन क्षेत्रों/विधाओं में जहां कोई भी यू.जी.सी. की सूची में दी गयी शोध पत्रिकाएँ नहीं हों अथवा केवल सीमित संख्या में हों तो विश्वविद्यालय किसी शिक्षक को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रूप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

(vii) In case of relocation of a Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

(viii) If a supervisor retires before the completion of the research work of his/her research scholar, the supervisor shall continue to supervise the candidates till the completion of his/her research work.

(ix) A teacher of the University may become the supervisor of the research scholar till the date of his/her retirement. After the retirement of the teacher the supernuating teacher shall continue to act as supervisor of the student.

Note:- Review of the progress of research work of a research scholar working as per clause (viii) & (ix) above shall be done by the departmental research advisory committee (RAC) constituted for the same. Constitution of RAC for each research scholar is mandatory, in case not constituted earlier.

(x) The maximum number of research scholars under a Supervisor/Co-supervisor shall be as follows:-

Professor	-	08
Associate Professor	-	06
Assistant Professor	-	04

Note:-

(a) To become a supervisor/co-supervisor of a student of other Institutions/ University, a prior permission from Gurukula Kangri (Deemed to be University) authorities shall be mandatory.

(b) Reservation policy in case of seat allotment will be implemented teacherwise.

(vi) After submission of Ph.D. thesis by a research scholar,

(vii) विवाह अथवा अन्य किसी कारण से किसी पी-एच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य समिति निबंधन और शर्तों का शब्दांश: पालन किया जाये तथा शोध कार्य मूल विश्वविद्यालय/निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किये गये शोध कार्य के अंकों के लिये उसे पूर्ण श्रेय देगा।

(viii) यदि किसी शोधार्थी का निर्देशक उसके शोध कार्य पूर्ण होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है तो शोधार्थी के शोध पूर्ण होने तक सेवानिवृत्त शिक्षक निर्देशक के रूप में कार्य करते रहेगा।

(ix) विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक सेवानिवृत्ति से पूर्व तक निर्देशक बन सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी निर्देशक के रूप में शोधार्थी का निर्देशन करता रहेगा।

नोट:- उपरोक्त बिन्दुओं (viii) एवं (ix) के अनुसार कार्य कर रहे शोधार्थी के शोध कार्य की समीक्षा इस हेतु गठित विभागीय शोध सलाहकार समिति (RAC) द्वारा किया जायेगा। जिस शोधार्थी के लिए शोध सलाहकार समिति का गठन न किया गया हो उसके लिए उक्त समिति का गठन करना अनिवार्य होगा।

(x) एक निर्देशक/सह-निर्देशक के अन्तर्गत शोधार्थियों की अधिकतम संख्या निम्न प्रकार होगी:-

प्रोफेसर	-	08
एसोसिएट प्रोफेसर	-	06
असिस्टेंट प्रोफेसर	-	04

नोट:-

(a) किसी दूसरे संस्थान/विश्वविद्यालय के किसी शोधार्थी का निर्देशक/सह-निर्देशक होने के लिये गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

(b) सीट विनियोजन के समय आरक्षण शिक्षकवार लागू होगा।

(vi) शोधार्थी द्वारा शोध ग्रन्थ (Ph.D. Thesis) जमा करने के उपरान्त

the seat shall be treated as vacant under the concerned supervisor.

7. SUBMISSION OF PROGRESS REPORT

- (i) It shall be mandatory for each research scholar to submit his/her quarterly research progress report in prescribed format certified by his/her supervisor through the Head in the office of the Registrar (Annexure-V).
- (ii) Each research scholar shall have to deposit prescribed monthly fee in the office of Registrar alongwith the progress report in the prescribed format.

8. CANCELLATION OF REGISTRATION

- (i) The minimum and maximum period for submitting the thesis shall be three years and six years respectively. This period shall be counted from the date of commencement of Ph.D. course work classes. The Ph.D. registration shall automatically be treated as cancelled after six years.
- (ii) If two successive quarterly research progress reports of the research scholar along with monthly fee are not submitted in the University office, the registration of the research scholar may be cancelled. However, on the written request of the research scholar with the recommendation of the research advisory committee (RAC), his/her case shall be referred to the DRC for final decision. This opportunity shall be provided only once during the entire period of Ph.D. programme.

9. LAYOUT OF THE THESIS

The layout of Ph.D. thesis shall be as follows:-

- (i) Candidate's declaration
- (ii) Supervisor's certificate
- (iii) Co-supervisor's certificate (If any)
- (iv) Certificate of HOD
- (v) Acknowledgement by the candidate
- (vi) Contents
- (vii) Main body of the thesis alongwith references/bibliography, notes and appendices etc.

सम्बन्धित निर्देशक की वह सीट रिक्त मानी जायेगी।

7. प्रगति विवरण का प्रस्तुतीकरण

- (i) प्रत्येक शोधार्थी के लिए अपना त्रैमासिक शोध प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप में अपने निर्देशक से प्रमाणित करवाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा (संलग्नक-V)।
- (ii) प्रत्येक शोधार्थी को निर्धारित प्रारूप में प्रगति विवरण के साथ मासिक शुल्क कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।

8. पंजीयन निरस्तीकरण

- (i) शोध कार्य की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष तथा अधिकतम छह वर्ष होगी। यह अवधि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि से मानी जायेगी। छः वर्ष की अवधि के पश्चात् पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (ii) यदि शोधार्थी के लगातार दो शोध प्रगति विवरण तथा मासिक शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा न हो तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण पर विचार हेतु शोधार्थी के लिखित प्रार्थना पत्र पर जो कि उसके शोध सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत हो, विभागीय शोध समिति में अंतिम निर्णय हेतु प्रेषित किया जायेगा। यह अवसर शोधार्थी को पी-एच.डी. प्रोग्राम की पूर्ण अवधि के दौरान केवल एक बार ही दिया जायेगा।

9. शोध ग्रन्थ का अभिन्यास

शोध ग्रन्थ का अभिन्यास (खाका) निम्न प्रकार होगा:-

- (i) शोधार्थी का घोषणा पत्र
- (ii) निर्देशक का प्रमाण पत्र
- (iii) सह-निर्देशक का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
- (iv) विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र
- (v) शोधार्थी द्वारा धन्यवाद पत्र
- (vi) विषय सूची
- (vii) शोध ग्रन्थ का मुख्य भाग, सन्दर्भ सूची/परिशिष्टियों, टिप्पणी, ग्रन्थ सूची आदि सहित।

10. EVALUATION OF THE THESIS

Upon satisfactory completion of Ph.D. course work, and obtaining the marks/grade prescribed above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time, as stipulated by the Vishwavidyalaya in these Regulations.

- (i) The Ph.D. scholar shall submit a draft thesis within a period of minimum three years and maximum six years from the date of commencement of Ph.D. course work classes.
- (ii) Ph.D. student shall publish at least one research paper in UGC CARE Listed Journals and also shall have to present two research papers in National/International conference/seminar before the submission of the Ph.D. thesis. The candidate shall have to produce evidence for the same in the form of reprints of the published paper and certificate of the paper presented in the conference seminar.
- (iii) Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee & DRC which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them shall be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee. For the above presentation, research scholar shall inform to head of the department through his/her supervisor.
- (iv) The Academic Council of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the Vishwavidyalaya where the work was carried out, or to any other Institution.
- (v) After completion of the research work the research scholar shall submit four typed copies of the thesis with the certificate of the supervisor (Annexure-II) alongwith candidate's declaration (annexure-I) and forwarded by Head/Convenor of the RDC (Annexure -IV) to the office of the Registrar alongwith summary and synopsis approved by RDC and fee etc. The certificate (Annexure-III) duly signed by co-supervisor is essential wherever co-supervisor has been appointed.

10. शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन

शोधार्थी द्वारा पी-एच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर शोध कार्य आरम्भ किया जायेगा तथा इन नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शोध ग्रंथ/थीसिस जमा करना होगा।

- (i) शोधार्थी पी-एच.डी. पाठ्यक्रम की कक्षाएं प्रारम्भ होने की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष एवं अधिकतम छः वर्ष में शोध ग्रन्थ जमा करेगा।
- (ii) शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने से पूर्व शोधार्थी न्यूनतम एक शोध पत्र यू.जी.सी. की केयर सूची में दिये गये शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करायेगा तथा न्यूनतम एक शोध पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस/सेमिनार में प्रस्तुत करेगा। शोधार्थी इन शोध पत्रों के रीप्रिंट तथा कांफ्रेंस/सेमिनार में प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों के प्रमाणपत्र प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा।
- (iii) शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी शोध सलाहकार समिति एवं विभागीय शोध समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। उनसे प्राप्त हुई प्रति पुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल किया जायेगा। उक्त प्रस्तुतीकरण हेतु शोधार्थी अपने निर्देशक के माध्यम से विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा।
- (iv) विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी (Plagiarism) तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट (Academic dishonesty) का पता लगायेगी। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध निर्देशक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाण जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य विश्वविद्यालय में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (v) शोध कार्य पूर्ण होने पर शोधार्थी को शोध ग्रन्थ की चार टाइप की हुई प्रतियाँ निर्देशक के प्रमाण पत्र (संलग्नक-II) एवं शोधार्थी के घोषणा पत्र सहित (संलग्नक-I) विभागाध्यक्ष/शोध उपाधि समिति के संयोजक द्वारा अग्रसारित (संलग्नक-IV) करवाकर कुलसचिव कार्यालय में शोध ग्रन्थ का सारांश और रूपरेखा (Synopsis) एवं शुल्कादि सहित जमा करनी होगी। जिस शोधार्थी का सह-निर्देशक नियुक्त हो, उसे शोध ग्रन्थ में उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (संलग्नक-III) संलग्न करना आवश्यक होगा।

Note: Typed copies (both sides of the page) of the thesis shall be hard bound with cover page in brown colour. The candidate will also submit two soft copies of the thesis in CD one for Registrar office and the other for NFLIBNET/UGC.

- (vi) The research scholar shall submit a summary of Ph.D. thesis of about 10 to 15 pages and approved synopsis alongwith the thesis (four copies each).
- (vii) The language of the thesis shall be Hindi/English/Sanskrit. But the thesis related to language/literature shall essentially be written in the respective language only i.e. a thesis of Sanskrit subject in Sanskrit language, a thesis of Hindi subject in Hindi language and a thesis of English subject in English language.
- (viii) The Ph.D. thesis must satisfy the following requirements:-
 - a. The thesis must be characterized by discovery of facts or by new interpretation of facts and it must be also based on critical examination and sound judgement.
 - b. The work must be original, not just imitation and should reflect the candidate's capacity for critical examination and sound judgement.
- (ix) For the evaluation of Ph.D. thesis, the Vice-Chancellor shall invite two panels of examiners each consisting of five names (Professors, Associate Professors, Scientist-F & above only) from the supervisor and head of the concerned department. In the list of examiners, name of foreign examiners may also be given. The Vice-Chancellor can also include some/few other names of examiners from other sources, if he desires so. Out of the panels he shall appoint two examiners (at least one shall be from outside the state) for evaluation of the thesis. These examiners shall send their reports of the thesis within a period of two months from the date of receipt of the thesis confidentially to the Registrar.
- (x) The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners, who are not in employment of the Vishwavidyalaya, of whom one examiner may be from outside the country. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and at least one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee, all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers. Viva-voce Examination may also be conducted online as per procedure laid down by the Vishwavidyaalya for the same.

नोट:- शोध ग्रन्थ की टाइप प्रतियाँ (पृष्ठ के दोनों ओर) ब्राउन कलर के आवरण पृष्ठ के साथ सजिल्द होगी। अभ्यर्थी को शोध ग्रन्थ की दो सॉफ्ट प्रतियाँ सीडी में जमा करनी होंगी जिनमें से एक कुलसचिव कार्यालय तथा दूसरी इन्फलिबनेट/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये होगी।

- (vi) शोध ग्रन्थ के साथ शोधार्थी को लगभग 10-15 पृष्ठों में सार-संक्षेप (Summary) एवं स्वीकृत रूप रेखा (Synopsis) जमा करनी होगी (प्रत्येक 4 प्रतियों में)।
- (vii) शोध ग्रन्थ की भाषा हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी होगी, किन्तु भाषा/साहित्य विषयक शोध ग्रन्थ अपनी-अपनी भाषा में ही लिखे जायेंगे। उदाहरणार्थ- संस्कृत विषयक शोध ग्रन्थ संस्कृत भाषा में, हिन्दी विषयक शोध ग्रन्थ हिन्दी भाषा में और अंग्रेजी विषयक शोध ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा में लिखने अनिवार्य होंगे।
- (viii) शोध ग्रन्थ में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी आवश्यक हैं :-
 - a. शोध ग्रन्थ अन्वेषणात्मक हो, जिसमें तथ्यों एवं विषयों का समावेश हो तथा वह आलोचनात्मक एवं तर्कसंगत निर्णयों पर आधारित होना चाहिए।
 - b. कार्य मौलिक हो, अनुकरण न हो, उसमें शोधार्थी की समीक्षात्मक प्रतिभा तथा निर्णय करने की क्षमता का प्रदर्शन होना चाहिए।
- (ix) शोध ग्रन्थ के मूल्यांकन हेतु कुलपति निर्देशक तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से परीक्षकों के पाँच-पाँच नामों की दो सूचियाँ (केवल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वैज्ञानिक-एफ एवं उससे ऊपर) के नाम भी दिये जा सकते हैं। परीक्षकों की सूची में विदेशी विशेषज्ञों के नाम भी दिये जा सकते हैं। यदि आवश्यक समझें तो कुलपति अन्य स्रोतों से भी नाम ले सकते हैं। इनमें से वह शोध ग्रन्थ के मूल्यांकन हेतु दो परीक्षकों को (जिनमें कम से कम एक राज्य से बाहर का हो) नियुक्त करेंगे। परीक्षक शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन (Report) शोध ग्रन्थ प्राप्त होने के दो माह के अन्दर गोपनीय रूप से कुलसचिव को भेजेंगे।
- (x) शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पी-एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन उसके शोध निर्देशक तथा कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो विश्वविद्यालय में नियोजित न हों, जिनमें से एक परीक्षक विदेश से भी हो सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई आलोचना पर मौखिक परीक्षा, शोध निर्देशक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं। मौखिकी परीक्षा को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाइन भी आयोजित किया जा सकता है।

- (xi) The research scholar shall be declared fail in case both the examiners reject the thesis. If one of them recommends (accepts) the thesis and the other rejects it, the thesis shall be sent to the third examiner out of the approved panel of examiners and his report shall be treated as final. However, the reports of both the above examiners will not be sent to the third examiner.
- (xii) The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the evaluation report of the external examiner of Ph.D. thesis, is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the dissertation/thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the third examiner is satisfactory. If the report of the third examiner is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.
- (xiii) After having been asked for correction in the thesis, the research scholar shall have to submit his/her thesis within six months from the date of receipt of such intimation, but not before three months. The prescribed fee shall also be deposited alongwith this modified thesis. The examiner for this modified thesis shall be the same who had been appointed earlier. No research scholar shall be permitted to submit his/her modified thesis more than once.
- (xiv) After appointment of examiners for viva-voce examination, the information shall also be given to the concerned supervisor in addition to the examiner so that the supervisor shall fix the date of viva-voce examination with examiner and inform the same to the Examination controllers' office. The notice of the conducting viva-voce examination shall be circulated by the Controller of Examination. The viva-voce examination will be held in the concerned department of main campus only.
- (xv) The entire process of evaluation of the Ph.D. thesis shall be completed within a period of six months from the date of submission of the thesis.
- (xvi) If there is no unanimous decision in the viva-voce examination, the candidate shall be given one more chance after six months, if any of the examiners fails the student in the viva-voce examination second time, he/she shall be declared fail.
- (xi) दोनों परीक्षकों द्वारा शोध ग्रन्थ अस्वीकृत कर दिए जाने की अवस्था में शोधार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। यदि एक परीक्षक शोध ग्रन्थ को स्वीकृत करे तथा दूसरा अस्वीकृत करे, तो शोध ग्रन्थ को तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा तथा उसके प्रतिवेदन (Report) को अन्तिम माना जाएगा। परन्तु दोनों परीक्षकों के प्रतिवेदन तीसरे परीक्षक को नहीं भेजे जायेंगे।
- (xii) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि तीसरे परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
- (xiii) शोध ग्रन्थ में संशोधन का आदेश मिलने पर शोधार्थी को अपना संशोधित शोध ग्रन्थ इस आदेश की तिथि से अधिकतम छः माह के अन्दर जमा करना होगा, परन्तु तीन माह से पूर्व नहीं। संशोधित शोध ग्रन्थ के साथ निर्धारित शुल्क भी देना होगा। पूर्व में नियुक्त परीक्षक ही संशोधित शोध ग्रन्थ के परीक्षक होंगे। किसी भी शोधार्थी को एक बार से अधिक संशोधित शोध ग्रन्थ जमा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (xiv) मौखिकी परीक्षा के लिए परीक्षक नियुक्त होने के पश्चात् सम्बन्धित सूचना मौखिकी परीक्षक के साथ-साथ सम्बन्धित निर्देशक को भी दी जाएगी, ताकि निर्देशक परीक्षक से परीक्षा तिथि निर्धारित कर तत्सम्बन्धी सूचना से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अवगत करेंगे। मौखिकी परीक्षा परीक्षा सम्बन्धी सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रसारित की जाएगी। मौखिकी परीक्षा मुख्य परिसर के सम्बन्धित विभाग में ही आयोजित की जायेगी।
- (xv) पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया शोध प्रबन्ध जमा करने की तिथि से छः माह के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
- (xvi) मौखिकी परीक्षा में सर्वसम्मत निर्णय न होने पर, शोधार्थी को छः माह के पश्चात् पुनः एक अवसर दिया जाएगा। पुनः मौखिकी परीक्षा में एक भी परीक्षक यदि शोधार्थी को अनुत्तीर्ण करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

11. DEPOSITORY WITH INFLIBNET

- (i) Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET, within a period of thirty days, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.
- (ii) Prior to the actual award of the degree, **University** shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2016.

12. OTHER INFORMATION ABOUT Ph.D. WORK/COURSE

The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

- (i) The Ph.D. programme in Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is a Regular (full time/part time) programme. There is no provision of distance mode Ph.D. programme in any subject/ discipline.
- (ii) If a candidate pursuing Full Time Ph.D. programme in this University is working in Institution, he/she will have to submit a NOC (No Objection Certificate) & acceptance letter of three years leave from Head of Department/ Institution at the time of admission to Ph.D. course work.
- (iii) A Teacher (Regular/Adhoc/Temp./Fix Salary) of Gurukula Kangri (University), Haridwar can be given permission for full time Ph.D. programme.
- (iv) Employee of Gurukula Kangri (Deemed to be University) shall have to apply through proper channel.
- (v) Each research scholar (including those who are getting scholarship/stipend) shall have to sign in the office of the concerned Head of Department/Co-ordinator Kanya Gurukula Campus daily. If the research scholar has to go outside for some personal or research related work, the supervisor may give permission for it. But the candidate will inform through supervisor to the office of the concerned Department/Faculty/Kanya Gurukula Campus. All the documents related to the scholarship of the research scholar shall be sent to the office of the Registrar for further action through the head of the department.

11. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

- (i) पी-एच.डी. उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पी-एच.डी. उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व विश्वविद्यालय पी-एच.डी. शोध प्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इन्फ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों/महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।
- (ii) उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रामाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

12. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्य सूचनाएँ

विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर पी-एच.डी. के लिये पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थी का नाम, उसके शोध का विषय, उसके निर्देशक/सह-निर्देशक नामांकन/पंजीकरण की तिथि आदि शामिल होंगे।

- (i) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में पी-एच.डी. पाठ्यक्रम एक नियमित (पूर्णकालिक/अंशकालिक) प्रोग्राम है। अतः किसी भी विषय/क्षेत्र में दूरस्थ प्रणाली में पी-एच.डी. प्रोग्राम की व्यवस्था नहीं है।
- (ii) इस विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक शोध कार्य करने वाला शोधार्थी यदि किसी भी संस्थान में कार्यरत हो तो उसे सम्बन्धित विभाग/संस्थान के अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं तीन वर्ष के अवकाश का स्वीकृति पत्र पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश लेने के समय जमा करना होगा।
- (iii) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में कार्य कर रहे शिक्षकों (नियमित/तदर्थ/अंशकालिक/फिक्स वेतन)को पूर्णकालिक शोध करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
- (iv) गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) के शिक्षक/कर्मचारी को उचित माध्यम द्वारा आवेदन करना होगा।
- (v) छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक शोधार्थी को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कोर्डिनेटर कन्या गुरुकुल परिसर के कार्यालय में प्रतिदिन अपने हस्ताक्षर करने होंगे। शोध कार्य अथवा व्यक्तिगत कार्य हेतु यदि उसका कहीं बाहर जाना आवश्यक हो तो निर्देशक इसकी स्वीकृति दे सकता है। परन्तु अभ्यर्थी निर्देशक के माध्यम से सम्बन्धित विभाग/संकाय/ सम्बद्ध कन्या गुरुकुल परिसर कार्यालय को सूचित करेगा। शोधार्थी के छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त प्रपत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

- | | |
|---|---|
| <p>(vi) If a registered candidate wants to change his/her approved Ph.D. topic, he/she will have to apply a fresh in the next RDC. He/she shall have to submit a new topic/modified topic (synopsis) with the recommendation of the RAC and forwarded by head of the department again to the office of the Registrar. He/she will have to pay the registration fee once again for it. However, he/she will not have to appear in the RET again.</p> | <p>(vi) यदि शोधार्थी स्वीकृत पी-एच.डी. विषय को बदलना चाहता/चाहती है, तो उसे नया आवेदन शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष पुनः प्रस्तुत करना होगा। परन्तु उसे (नए विषय/संशोधित विषय/ रूपरेखा को) जिसे शोध सलाहकार समिति (RAC) द्वारा अनुमोदित तथा अध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया गया हो, कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा। इस हेतु उसे नामांकन शुल्क पुनः जमा करना होगा। उसे शोध प्रवेश परीक्षा में पुनः नहीं बैठना होगा।</p> |
| <p>(vii) On the written request of the candidate who has been registered for Ph.D. programme, only minor changes/modifications are allowed in his/her approved Ph.D. topic/synopsis with the recommendation of the RAC and forwarded by HOD after the approval of the RDC. The modification in the approved synopsis shall be allowed once only. After the approval of the RDC the Registrar office shall inform the candidate accordingly.</p> | <p>(vii) पी-एच.डी. प्रोग्राम में पंजीकृत शोधार्थी की लिखित प्रार्थना पर उसके स्वीकृत शोध विषय / रूपरेखा में आंशिक संशोधन उसके शोध सलाहकार समिति (RAC) के अनुमोदन तथा विभागाध्यक्ष के अग्रसारण और शोध उपाधि समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जायेगा। रूपरेखा में इस प्रकार का आंशिक संशोधन केवल एक बार ही मान्य होगा। तत्पश्चात् शोध उपाधि समिति (RDC) के अनुमोदन के उपरान्त कुलसचिव कार्यालय द्वारा शोधार्थी को इसकी सूचना दी जाएगी।</p> |
| <p>(viii) No research scholar shall be permitted to appear in any examination of this University or any other university after getting registered for Ph.D. in this University.</p> | <p>(viii) जिस शोधार्थी ने शोध के लिए इस विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण करा लिया है उसे इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> |
| <p>(ix) If the knowledge/understanding of any specific language or script is needed for the thesis he/she shall have to submit a certificate of having acquired the desired qualification/skill within one year.</p> | <p>(ix) यदि किसी विषय में शोधार्थी के लिए किसी विशिष्ट भाषा या लिपि का ज्ञान अपेक्षित है तो उसे एक वर्ष के अन्दर तत्सम्बन्धी योग्यता प्राप्त कर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।</p> |
| <p>(x) After awarding the degree, one copy of the thesis shall be returned to the research scholar alongwith the copy of the reports of the examiners on request within one month, but the name of the external examiners shall not be disclosed in any case.</p> | <p>(x) उपाधि प्रदान किए जाने के उपरान्त एक माह के अन्दर, शोध ग्रन्थ की एक प्रति शोधकर्ता को वापस कर दी जाएगी तथा उसके साथ शोधार्थी की प्रार्थना पर परीक्षकों की रिपोर्ट की भी एक-एक प्रति प्रेषित कर दी जाएगी, परन्तु परीक्षकों के नाम किसी भी दशा में प्रकट नहीं किए जायेंगे।</p> |
| <p>(xi) If the examiner appointed for the viva-voce examination does not turn up, the Vice-Chancellor has the right to appoint another examiner from the proposed panel of examiners.</p> | <p>(xi) मौखिकी परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक यदि उपस्थित नहीं होता तो कुलपति को प्रस्तावित परीक्षकों की सूची में से अन्य परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा।</p> |
| <p>(xii) The student who has already obtained Ph.D. degree from this University shall not be permitted to register himself/herself for Ph.D. degree in the same or in any other subject of this University.</p> | <p>(xii) जिस छात्र/छात्रा ने इस विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त कर ली हो वह पुनः इस संस्थान में उसी विषय अथवा किसी अन्य विषय में पी-एच.डी. उपाधि हेतु आवेदन नहीं कर सकेगा।</p> |
| <p>(xiii) The tenure of subject experts of RDC shall be of three years.</p> | <p>(xiii) शोध समिति के विषय-विशेषज्ञों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।</p> |

- (xiv) Number of vacant seats in each subject shall be advertised by the Registrar office on the position of the date of advertisement of admission notice in each academic session.
- (xv) If a full time registered Ph.D. scholar who have completed reearch work continuously for 18 month, he/she can be facilitated to join service in other Institutions/Organisation by converting full time Ph.D. Programme into part time Ph.D. Programme. He/she shall have to pay fee of part time Ph.D. programme in place of full time Ph.D. Programme.
- (xvi) The new rules will be applicable to the candidates who are registered from the session 2017-18 & onwards.
- (xvii) The research scholar may use his/her pre published research material in his/her Ph.D. thesis, provided he/she has not used such a material in obtaining any degree of this University or any other University/Institution.
- (xviii) The supervisor of a candidate may be changed on the following grounds:-
- (a) If the supervisor dies after the registration of the candidate.
- (b) If the supervisor is on leave (except maternity/paternity/child care leave) from the Vishwavidyalaya for a period of more than six months or resigns from the University.
- (c) If he / she is seriously ill and is not in a condition to supervise a candidate in prescribed duration for a period of more than six months.
- (d) If there is mutual consent among the candidate and supervisors (existing & incumbent).
- (e) If there is a dispute between the research scholar and his/her supervisor the following committee shall examine the matter and report to the Vice-Chancellor, whose decision shall be final:-
- (i) Dean of the concerned faculty
- (ii) Nominee of the Vice-Chancellor
- (iii) Head of the concerned department-convenor
- (If complaint is against the Head/Dean, he shall not participate in the proceedings of the meeting. In that case, another faculty member/s of the department may be appointed by the Vice-Chancellor).
- Note :-**The candidate may request for the change of supervisor with the recommendation of the Head of the Department to the Registrar. If there is no vacant seat under a teacher of the

- (xiv) प्रत्येक विषय में रिक्त स्थानों की संख्या कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि के दिन की स्थिति अनुसार विज्ञापित की जायेंगी।
- (xv) यदि कोई पूर्णकालिक पंजीकृत शोधार्थी विश्वविद्यालय में 18 माह तक निरन्तर शोध कार्य कर चुका हो तो उसे अन्यत्र संस्थानों में सेवा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्णकालिक से अंशकालिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। उस शोधार्थी से पूर्णकालिक के स्थान पर अंशकालिक का शुल्क लिया जायेगा।
- (xvi) नए नियम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर लागू होंगे, जो सत्र 2017-18 एवं उससे आगे पंजीकृत होंगे।
- (xvii) शोधार्थी अपने शोध ग्रन्थ में अपनी पूर्व प्रकाशित सामग्री का उपयोग कर सकेगा, बशर्ते कि उसने इसका उपयोग इस विश्वविद्यालय की अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय/संस्थान की किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए पहले न किया हो।
- (xviii) शोधार्थी के निर्देशक को निम्न प्रकार से बदला जा सकता है:-
- (a) यदि निर्देशक की शोधार्थी के पंजीकरण के पश्चात् मृत्यु हो गयी हो।
- (b) यदि निर्देशक छः माह से अधिक अवधि के लिए विश्वविद्यालय से अवकाश (मातृत्व/पितृत्व/चाइल्ड केयर लीव को छोड़कर) लेता है अथवा विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त होता है।
- (c) यदि निर्देशक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो तथा किसी भी अवस्था में शोधार्थी को निर्धारित छः महीने से अधिक की समयावधि में निर्देशित कर सकने की स्थिति में न हो।
- (d) यदि शोधार्थी एवं शोध निर्देशकों (वर्तमान एवं पदस्थ) में पारस्परिक सहमति हो।
- (e) यदि शोधार्थी एवं उसके निर्देशक के मध्य विवाद हो तो निम्न समिति विचार करेगी। यह समिति कुलपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा कुलपति का निर्णय अंतिम होगा:-
- (i) सम्बन्धित संकाय के संकायाध्यक्ष
- (ii) कुलपति के प्रतिनिधि
- (iii) सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष-संयोजक
- (यदि विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत हो तो वह समिति की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कुलपति द्वारा विभाग का अन्य शिक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
- नोट:-** शोधार्थी विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलसचिव को निर्देशक बदलने के लिये प्रार्थना कर सकता है। यदि विभाग के किसी शिक्षक के अन्तर्गत

department, the Vice-Chancellor may grant permission to work under a supervisor as an additional candidate decided by the Departmental Research Committee till a seat falls vacant under that teacher.

- (xix) The examination rules of Ph.D. course work shall be the same as applicable to the examinations of other courses conducted by the University.
- (xx) Research scholar having less than 75% attendance in Ph.D. course work, shall have to take re-admission in Ph.D. course work.
- (xxi) If the research scholar does not appear in the examination after completing Ph.D. course work, he/she shall be given another chance to appear in the next Ph.D. course work examination after depositing the prescribed examination fee. However, examination fee deposited earlier shall be retained on medical grounds only.
- (xxii) If the synopsis of the candidate is rejected in the RDC meeting, on the recommendation of RAC the new synopsis can be re-submitted for discussion in the next RDC meeting on the request of the candidate & the recommendation of RAC.
- (xxiii) After completion of Ph.D. course work and approval of the research topic, the research scholar shall give his/her attendance to the office of concerned Deptment/ Faculty/Kanya Gurukula Campus.
- (xxiv) During Ph.D. programme, the mandatory requirement of attendance of the research scholar shall be for three years from the date of commencement of Ph.D. course work classes.
- (xxv) Ph.D. Rules & Regulations as per UGC (Minimum standards and procedure for awards of M.Phil./Ph.D. Degree), Regulation 2016 are in force in the University from the academic session 2017-18.
- (xxvi) The selected/eligible candidates will be informed about their selection for the Ph.D. programme. No individual intimation will be sent to candidates who are not selected/qualified.
- (xxvii) In case any candidate/Ph.D. scholar is found to have furnished any false information or documents, he/she shall be debarred from continuing the course.

कोई स्थान रिक्त न हो तो विभागीय शोध समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा किसी भी शिक्षक को अतिरिक्त शोधार्थी के रूप में शोध करने हेतु अनुमति दी जा सकती है जब तक की उस शिक्षक के अन्तर्गत सीट रिक्त न हो जाये।

- (xix) पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के परीक्षा नियम ही लागू होंगे।
- (xx) पी-एच.डी. में पाठ्यक्रम कार्य शोधार्थी की उपस्थिति न्यूनतम 75% से कम रहने पर उसे पी-एच.डी. कोर्स वर्क में पुनः प्रवेश लेना होगा।
- (xxi) यदि किसी शोधार्थी ने कोर्स वर्क पूर्ण करने के उपरान्त परीक्षा न दी हो तो उसे निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर आगामी पी-एच.डी. कोर्स वर्क की परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। पूर्व में जमा किया गया परीक्षा शुल्क केवल मेडिकल के आधार पर ही सुरक्षित किया जा सकेगा।
- (xxii) यदि शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक में किसी अभ्यर्थी की शोध रूपरेखा (Synopsis) को निरस्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी की प्रार्थना एवं शोध सलाहकार समिति की संस्तुति पर नई शोध रूपरेखा को आगामी शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (xxiii) पी-एच.डी. कोर्स वर्क पूर्ण करने एवं शोध विषय की स्वीकृति के पश्चात् शोधार्थी अपनी उपस्थिति सम्बन्धित विभाग/संकाय/सम्बद्ध कन्या गुरुकुल परिसर कार्यालय में अंकित करायेंगे।
- (xxiv) शोधार्थी के पी-एच.डी. प्रोग्राम के दौरान उपस्थिति की बाध्यता पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाओं के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष होगी।
- (xxv) पी-एच.डी. हेतु नियम-उपनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियुक्त, 2016 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू हैं।
- (xxvi) चयनित/अर्ह अभ्यर्थियों को उनके चयन की सूचना दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का चयन न हुआ हो उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं भेजी जाएगी।
- (xxvii) यदि अभ्यर्थी/शोधार्थी किसी गलत सूचना अथवा प्रमाण पत्र देते हुए पाया गया तो उसे पाठ्यक्रम को जारी रखने से प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

(xxviii) All information provided in the application must be supported with documentary proof.

(xxix) Prior to award of actual degree, the candidate can obtain a provisional certificate after two weeks from the date of viva-voce examination mentioning that the **"Degree has been awarded in accordance with the Provisions of the UGC (Minimum Standards and procedures for the award of Ph.D. degree) Regulation, 2016"**.

13. LEAVE RULES FOR THE RESEARCH SCHOLAR

For each research scholar getting scholarship/stipend, the leave rules and other terms and conditions shall be as prescribed by the concerned funding agency awarding the scholarship/stipend. In the absence of well defined rules, UGC-JRF leave rules shall be applicable. The same leave rules shall also be applicable for research scholars who are non-scholarship holders. Leave shall be granted by the HOD on the recommendation of supervisor of the research scholar.

14. LIBRARY FACILITY FOR THE RESEARCH SCHOLAR

(a) Registered research scholar will have to deposit the prescribed library fee and library caution money at the time of admission in Ph.D. The library caution money is refundable after the award of the Ph.D. degree/ cancellation of the registration as per rules.

b) Each research scholar shall be issued eight books at one time as per rules.

15. JURISDICTION

All matters of dispute during and after the admission/ registration in Ph.D. programme shall be subject to the exclusive jurisdiction of Haridwar District Court.

Note:- In case of any doubt in Rules & Regulations, the English version shall be valid.

(xxviii) आवेदन पत्र में दर्शाये गये समस्त विवरण लिखित प्रमाण पत्रों से संपुष्ट होने चाहिए।

(xxix) वास्तविक डिग्री प्राप्त करने से पूर्व एवं मौखिकी परीक्षा की समाप्ति के दो सप्ताह के पश्चात् शोधार्थी अस्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि **"उपाधि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियुक्त, 2016 के प्रावधानों एवं उन्हीं विनियमों के अनुरूप प्रदान किया गया है"**।

13. शोधार्थी के लिए अवकाश के नियम

छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक शोधार्थी के लिये छात्रवृत्ति देने वाली संस्था/एजेन्सी के अवकाश के नियम तथा अन्य सभी शर्तें लागू होंगी। छात्रवृत्ति देने वाली संस्था/एजेन्सी के स्पष्ट नियम न होने की स्थिति में यू.जी.सी.-जे.आर.एफ. अवकाश नियम मान्य होंगे। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शोधार्थियों पर भी यही अवकाश नियम लागू होंगे। शोधार्थी को उसके निर्देशक की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत किये जायेंगे।

14. शोधार्थी के लिए पुस्तकालय की सुविधा

(a) पंजीकृत शोधार्थी को पी-एच.डी. में प्रवेश के समय निर्धारित पुस्तकालय शुल्क एवं पुस्तकालय सुरक्षाधन जमा करना होगा। पुस्तकालय सुरक्षाधन शोधार्थी को पी-एच.डी. उपाधि मिलने अथवा नामांकन निरस्त होने के उपरान्त नियमानुसार लौटा दिया जाएगा।

(b) प्रत्येक शोधार्थी को एक समय में नियमानुसार 08 पुस्तकें मिल सकेंगी।

15. न्यायाधिकार

पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश व प्रवेशोपरान्त अन्य सभी प्रकरणों पर विवाद होने पर न्याय क्षेत्र हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर होगा।

नोट:- नियमों एवं उपनियमों में संशय की स्थिति में केवल अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

PH.D. PROGRAMME (PART TIME)

Part-time Ph.D. programme has been started in the University from the session 2019-20. In part time Ph.D. programme all the conditions mentioned in the extant Ph.D. Rules & Regulations for full time Ph.D. programme of the University will be followed. Part time Ph.D. students will be required to complete the course work and appear for all evaluation components in order to complete the courses as required for Full time Ph.D. programme. All existing academic regulations of full time Ph.D. programme will be applicable to part-time Ph.D. students, unless specifically mentioned otherwise.

A. Eligibility

The eligibility criteria for part time Ph.D. programme shall be the same as that for full time Ph.D. Programme. Additionally, the candidates seeking admission in part time Ph.D. programme need to fulfill the following conditions and provide the relevant document along with the application:-

1. Candidate working as a regular employee in any Government Department (State Govt./Centre Govt./Autonomous) or Public Sector Undertaking/Registered Industry/Company will be eligible for admission to Part-Time Ph.D. Programme.
2. The applicant must have been in continuous service for at least Three years at the time of submitting the application form for admission and he/she must submit a 'No Objection Certificate' from the present employer stating that:
 - (i) He/ she is on the regular payroll of the organization
 - (ii) He/ she is permitted to pursue studies for part-time Ph.D. programme

The Departmental Research Committee (DRC) shall ensure the fulfillment of the above mentioned conditions at the time of interview/counseling with all requisite documentary evidences.

B. Other Terms & Conditions

1. A faculty may be permitted to take maximum number of Part time Ph.D. students under his/her supervision in the following manner.

Professor	-	2
Associate Professor	-	1
Assistant Professor	-	1

These seat shall be including those of maximum full time Ph.D. students.

पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (अंशकालिक)

सत्र 2019-20 से विश्वविद्यालय में अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है। अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम में अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की उन सभी अर्हताओं को नियमानुसार पूर्ण करना होगा जो कि पूर्णकालिक पी-एच.डी. हेतु निर्धारित की गई हैं। अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के अभ्यर्थी को पूर्णकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के अनुसार ही पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा और यथा समय निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिये विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में चल रहे पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सभी नियम-उपनियम यथावत् लागू होंगे जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

A. अर्हता

अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम हेतु अर्हता के मापदण्ड पूर्णकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के समान ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे-

1. कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी सरकारी विभाग (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थान) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पंजीकृत औद्योगिक संस्थान/कम्पनी का नियमित कर्मचारी है, अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिए अर्ह है।
2. आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम तीन वर्ष तक निरन्तर सेवारत होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लेना आवश्यक है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि:-
 - (i) अभ्यर्थी संस्थान में नियमित वेतन पर कार्यरत है।
 - (ii) अभ्यर्थी को अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम में अध्ययन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साक्षात्कार/परामर्श के समय विभागीय शोध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्ण करता हो तथा वह साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा।

B. अन्य नियम एवं शर्तें

1. किसी भी विभाग में एक निर्देशक के अन्तर्गत अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम सीट/संख्या निम्न प्रकार होगी-

प्रोफेसर	-	2
एसोसिएट प्रोफेसर	-	1
असिस्टेंट प्रोफेसर	-	1

इनकी गणना पूर्णकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों की अधिकतम संख्या के अन्तर्गत ही की जायेगी।

2. Part time Ph.D. programme shall be for a Minimum 4 year's duration including course work and maximum of 7 years. This period shall be counted from the date of commencement of Ph.D. course work classes. Extension beyond the above limits will not be permissible.
 3. Part-time Ph.D. scholar will be required to meet his/her supervisor at least once in a month on working days of the Vishwavidyalaya throughout the duration of programme. Attendance record shall be maintained by the supervisor and office of the concerned Department.
 4. The Ph.D. course work for part time Ph.D. Programme shall be of one full semester's duration and the classes will be held as per the the schedule notified by the Vishwavidyalaya. It is be mandatory for the research scholar to attend the above classes with minimum 75% attendance as per rules.
 5. Part-time research scholar must give an undertaking that he/she will take leave from his/her employer for Ph.D. course work as per schedule.
 6. During the period of research, the candidates are required to be present in the department for a minimum of 240 days (Including course work) in a single spell or in different spells. It could be at GK (DU) or partly in the organisation of co-supervisor (if any).
 7. The research supervisor, at the time of submission of thesis by the candidate shall furnish a certificate that the candidate has fulfilled the minimum residential requirement for Ph.D. research work. This shall be verified by the concerned department on the basis of attendance record of the research scholar.
 8. Candidates who are pursuing Ph.D. as a part-time research scholar are not allowed to take admission in any other degree course (either distance or regular). If this rule is violated, the enrolment of the candidate from the course will be treated as cancelled.
 9. Fee structure of the Part-time Ph.D. Programme shall be as per the fee structure prescribed by the University for the same.
 10. Non teaching employee (Regular/Adhoc/Fix salary) of GK (DU) having atleast 2 years experience of serving in GK(DU) can be permitted to persue part time Ph.D. Programme.
 11. For staff ward and Regular/Temporary Teaching & Non teaching employee of GK (DU), fee of part time Ph.D. programme under self finance departments shall be same as that of maintenance departments.
2. अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत शोध कार्य की अवधि पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष होगी। यह अवधि पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य की कक्षाएँ प्रारंभ होने की तिथि से मानी जायेगी। उक्त अवधि के अतिरिक्त समय-विस्तारण नहीं किया जा सकेगा।
 3. अंशकालिक पी-एच.डी. के शोधार्थी को शोधकार्य के दौरान अपने निर्देशक से विश्वविद्यालय के कार्य-दिवसों में प्रत्येक माह में कम से कम एक बार दिशा-निर्देश हेतु उपस्थित होना होगा। उपस्थिति का रिकार्ड शोध निर्देशक एवं संबंधित विभाग द्वारा रखा जायेगा।
 4. अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों के लिए पी-एच.डी. पाठ्यक्रम-कार्य की कक्षाएँ एक सेमेस्टर की अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी। शोधार्थियों की उक्त कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
 5. अंशकालिक पी-एच.डी. शोधार्थियों को पाठ्यक्रम कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 6. शोधकार्य के दौरान अभ्यर्थी को संबंधित विभाग में न्यूनतम 240 दिन (पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की अवधि सहित) की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। ये 240 दिन एक साथ अथवा अलग-अलग समयावधि में पूरे किये जा सकते हैं। यह उपस्थिति गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में उपस्थित होकर या सह-निर्देशक (यदि कोई हो) के अधीन अन्य संस्थान की भी मानी जा सकती है।
 7. शोध प्रबंध जमा करते समय शोध निर्देशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी ने पी-एच.डी. शोध कार्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराई है। इस हेतु शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन संबंधित विभाग की उपस्थिति पंजिका से किया जायेगा।
 8. जो अभ्यर्थी अंशकालिक पी-एच.डी. कार्यक्रम में शोधार्थी हैं वे किसी भी प्रकार के दूरस्थ या संस्थागत अन्य पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। यदि कोई शोधार्थी उक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।
 9. अंशकालिक पी-एच.डी. प्रोग्राम के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार देय होगा।
 10. गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में कार्य कर रहे शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (नियमित/तदर्थ/अंशकालिक/फिक्स मानदेय) कर्मचारियों को (समविश्वविद्यालय) की सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात ही अंशकालिक पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
 11. गु.कां. (समविश्वविद्यालय) के स्ववित्तपोषित विभागों में पार्ट टाइम पी-एच.डी. हेतु स्टॉफ वार्ड व स्थाई/अस्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिये शुल्क अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत विभागों की भांति लिया जायेगा।

CANDIDATE'S DECLARATION

I hereby declare that the work which is being presented in the thesis entitled ".....", in fulfilment of requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy inof Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar is an original work carried out by me during a period from.....to, under the supervision of Dr./Prof.....Department ofGurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

The matter presented in the thesis has not been submitted by me for the award of any other degree /diploma of this Vishwavidyalaya or any other University/Institute. I have properly acknowledged the material collected from the secondary sources wherever required. I solely own the responsibility for the originality of the entire content.

I fulfil all the eligibility requirements for the submission of Ph.D. thesis as per prescribed norms in the research rules & regulations of the Gurukula Kangri (Deemed to be University)/UGC.

Date :

(.....)

Research Scholar

Enrolment No.....

SUPERVISOR 'S CERTIFICATE

This is to certify that Mr/Ms. has worked under my supervision on ".....", for his/her Degree of Doctor of Philosophy in.....of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. He / she fulfils the eligibility criteria for submission of Ph.D. thesis as per research rules & regulations of the Gurukula Kangri (Deemed to be University)/UGC. It is also certified that the candidate has incorporated the suggestions given in the pre-submission presentation before DRC.

The candidate has fulfilled the necessary residency requirements for full time/part time Ph.D. Programme as per rules of the Gurukula Kangri (Deemed to be University).

I recommend the thesis for evaluation for the award of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar.

Date :

(.....)

Supervisor

CO- SUPERVISOR'S CERTIFICATE

I forward the thesis entitled "....." being submitted by..... for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in..... of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar. He / she has carried out his/her research work under my co-supervision.

Date :

(.....)

Co- Supervisor
(if any)

H.O.D.'S CERTIFICATE

The Ph.D. thesis submitted by Mr/Ms..... in the subject of
..... under the supervision of Dr./
Prof..... is hereby forwarded for evaluation for the award
of the Degree of Doctor of Philosophy of Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar .

It is also certified that the candidate has made pre-submission presentation before DRC and fulfils necessary residency
requirement of full time/part time Ph.D. Programme as per the rules of the Gurukula Kangri (Deemed to be University).

Date :

(.....)

Head of Department

Ph.D. PROGRESS REPORT*

Department Title

Full Time/Part Time :

Name of the Candidate

Date of Acceptance/RDC

Registration No.

Date of Starting Work

Subject

Name of Faculty/Campus

Name of the Supervisor

Name of the Co-Supervisor

Duration of Progress Report To

Have any Scholarship/Fellowship ? : Yes / No

If Yes. Date of Starting Fellowship

Name of Scholarship/Fellowship

.....

Progress Report Given by the Student

Outline below your progress and achievements over the last 3 months in about 100 words. Give the details

Signature of Scholar
 Postal Address

.....

Email

Contact No.

Date .../.../.....

*** The Prescribed Fee is to be deposited with each quarterly progress report. Format of the progress report can be downloaded from the Vishwavidyalaya website.**

Supervisor's Recommendations

This is to certify that the research work is going on/ Not going on properly and information given by the Research Scholar is True/ Not True. As supervisor I am Satisfied/Not Satisfied with the performance of the student. (If not satisfied, give the reason.)

Date:/..../.....

Signature of Supervisor

Signature of Co-Supervisor

Signature of Head of the Department

Office Remarks given by Academic Section:-

All necessary documents and previous progress reports related to his/her research work are complete and available in the student's file.

Signature

Academic Section

Date:/..../.....

Counter Signed by

Dean

Academic Affairs

LIST OF FACULTY MEMBERS

MAIN CAMPUS

● Ved

1. Dr. Manudev, M.A., Ph.D., Professor
2. Dr. Roop Kishore Shastri, M.A., M.Phil, Ph.D., D.Lit., Professor (on leave)
3. Dr. Dinesh Chandra Shastri, M.A., Ph.D., D.Lit., Professor & Head
4. Dr. Dharmendra Kumar, M.A., Ph.D., Professor
5. Dr. Deendayal, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor
6. Sh. Ramchand Meghwal, M.A., NET, Assistant Professor

● Shradhanand Vedic Research Centre

1. Dr. Satya Dev Nigmalankar, M.A., Ph.D., D. Lit., Professor & Head
2. Dr. Ramprakash Varnee, M.A., Ph.D., Professor

● Sanskrit

1. Dr. Somdev Shatanshu, M.A., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Brahmdev, M.A., Ph.D., Professor
3. Dr. Mauhar Singh Meena, M.A., NET, M.Phil., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Vedvrat, M.A., NET, Ph.D., Assistant Professor

● Philosophy

1. Dr. Sohan Pal Singh Arya, M.A., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Bharat Arya, M.A., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Babloo, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Yogic Science

1. Dr. Surendra Kumar, M.A., P.G. Diploma, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Udham Singh, M.A., M.Phil, Ph.D., Assistant Professor

● A. I. History Culture & Archaeology

1. Dr. Rakesh Kumar Sharma, M.A., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Prabhat Kumar, M.A., Ph.D., Professor
3. Dr. Devendra Kumar Gupta, M.A., NET, Ph.D., Professor
4. Dr. Dilip Kumar Kushwaha, M.A., NET, Ph.D., Associate Professor

● Hindi

1. Dr. Ajeet Singh Tomar, M.A., NET, Assistant Professor
2. Sh. Sunil Kumar, M.A., NET, Assistant Professor

● English

1. Dr. M.R. Verma, M.A., Ph.D, Professor
2. Dr. Shrawan K. Sharma, M.A., Ph.D., D.Lit, Professor & Head
3. Dr. Ambuj Kumar Sharma, M.A., Ph.D., Professor
4. Dr. Arun Singh Awana, M.A., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Varun Bakshi, M.A. Ph.D. Assistant Professor

● Psychology

1. Dr. S.K. Srivastava, M.A., Ph.D., Professor
2. Dr. C.P. Khokhar, M.A., M.Phil., Ph.D., Professor & Head
3. Dr. Rakesh Kumar, M.A., Ph.D., Professor
4. Dr. Arun Kumar, M.A., M.Phil, Ph.D., NET, Associate Professor
5. Dr. Deepak Singh, M.A., M.Phil, Ph.D., Assistant Professor

प्राध्यापकों/प्राध्यापिकाओं की सूची

मुख्य परिसर

● वेद

1. डा. मनुदेव, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. रूप किशोर शास्त्री, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., डी. लिट् (अवकाश पर)
3. डा. दिनेश चन्द्र शास्त्री, एम.ए., पी-एच.डी., डी. लिट्, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
4. डा. धर्मेन्द्र कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
5. डा. दीनदयाल, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. श्री रामचन्द्र मेघवाल, एम.ए., नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● श्रद्धानन्द वैदिक अनुसंधान केन्द्र

1. डा. सत्यदेव निगमालंकार, एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. रामप्रकाश वर्णी, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर

● संस्कृत

1. डा. सोमदेव शतांशु, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. ब्रह्मदेव, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
3. डा. मौहर सिंह मीणा, एम.ए., नेट, एम.फिल., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. वेदव्रत, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● दर्शन

1. डा. सोहन पाल सिंह आर्य, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. भारत आर्य, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डा. बबलू, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● योग विज्ञान

1. डा. सुरेन्द्र कुमार, एम.ए., पी.जी. डिप्लोमा, पी-एच.डी., प्रोफे. एवं अध्यक्ष
2. डा. ऊधम सिंह, एम.ए., एम.फिल, पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व

1. डा. राकेश कुमार शर्मा, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. प्रभात कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
3. डा. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., प्रोफेसर
4. डा. दिलीप कुमार कुशवाहा, एम.ए., नेट, पी-एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर

● हिन्दी

1. डा. अजीत सिंह तोमर, एम.ए., नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. श्री सुनील कुमार, एम.ए., नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● अंग्रेजी

1. डा. एम.आर. वर्मा, एम.ए., पीएच-डी, प्रोफेसर
2. डा. श्रवण कुमार शर्मा, एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. अम्बुज कुमार शर्मा, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
4. डा. अरूण सिंह अवाना, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. वरूण बक्शी, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● मनोविज्ञान

1. डा. एस.के. श्रीवास्तव, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
2. डा. सी.पी. खोखर, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. राकेश कुमार, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर
4. डा. अरूण कुमार, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., नेट, एसोसिएट प्रोफेसर
5. डा. दीपक सिंह, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● Jyotirvigyan & Vedic Karmakand

1. Dr. Bhagwan Das, M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Economics

1. Dr. Vipul Bhatt M.A., Ph.D., Assistant Professor

● Physics

1. Dr. L. P. Purohit, M.Sc., NET, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Pawan Kumar, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Himanshu Gupta, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Hemwati Nandan, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● Chemistry

1. Dr. R. D. Kaushik, M.Sc., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. R. K. Shukla, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Jaspal Singh, M.Sc., M.E., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Prashant Tevatia, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Suhas, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Rajdeep Malik, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
7. Dr. Ravindra Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
8. Sh. Jagram Meena, M.Sc., NET, Assistant Professor

● Maths and Statistics

1. Dr. Manoj Kumar, M.Sc., M.Phil, NET, Ph.D., Assistant Professor
2. Dr. Ajendra Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Harendra Kumar, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Sag Ram Verma, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● Computer Science

1. Dr. Karamjit Bhatia, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Vivek Kumar, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor
3. Dr. Raj Kumar, M.Sc., M.C.A., Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Mahendra Singh Aswal, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Shwetank Arya, M.C.A., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Krishan Kumar, M.C.A., NET, Ph.D., Assistant Professor

● Botany and Microbiology

1. Dr. Ramesh Chandra Dubey, M.Sc., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Navneet, M.Sc., M.Phil., NET, Ph.D., Professor
3. Dr. Mukesh Kumar, M.Sc., Ph.D., Professor
4. Dr. Kartikeya Kumar Gupta, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Harish Chandra, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● ज्योतिर्विज्ञान एवं कर्मकाण्ड

1. डा. भगवान दास, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● अर्थशास्त्र

1. डा. विपुल भट्ट, एम.ए., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● भौतिक विज्ञान

1. डा. एल. पी. पुरोहित, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. पवन कुमार, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर
3. डा. हिमांशु गुप्ता, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. हेमवती नन्दन, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● रसायन विज्ञान

1. डा. आर. डी. कौशिक, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. आर. के. शुकला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डा. जसपाल सिंह, एम.एस-सी., एम.ई., पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. प्रशान्त तेवतिया, एम.एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. सुहास, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. डा. राजदीप मलिक, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7. डा. रविन्द्र कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
8. श्री जगराम मीना, एम.एस-सी., नेट, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● गणित एवं सांख्यिकी

1. डा. मनोज कुमार, एम. एस-सी., एम.फिल. नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2. डा. अजेन्द्र कुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डा. हरेन्द्र कुमार, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. सगराम वर्मा, एम. एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● कम्प्यूटर विज्ञान

1. डा. कर्मजीत भाटिया, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, एवं अध्यक्ष
2. डा. विवेक कुमार, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर
3. डा. राज कुमार, एम.एस-सी., एम.सी.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. महेन्द्र सिंह असवाल, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. श्वेतांक आर्य, एम.सी.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. डा. कृष्ण कुमार, एम.सी.ए., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान

1. डा. रमेशचन्द्र दुबे, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. नवनीत, एम. एस-सी., एम.फिल., नेट, पी-एच. डी., प्रोफेसर
3. डा. मुकेश कुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर
4. डा. कार्तिकेय कुमार गुप्ता, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. हरीशचन्द्र, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

6. Dr. Sandeep Kumar, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
7. Dr. Vineet Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
8. Dr. Chiranjivi Banerjee, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● Zoology and Environmental Science

1. Dr. Devendra Singh Malik, M.Sc., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Rakesh Bhutiani, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
3. Dr. Nitin Kamboj, M.Sc., NET, Ph.D., Assistant Professor
4. Dr. Vinod Kumar, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
5. Dr. Gagan Mata, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor
6. Dr. Nitin Bhardwaj, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor

● Pharmaceutical Sciences

1. Dr. S.K. Rajput, M. Pharm, Ph.D, Professor & Head (Adhoc)
2. Dr. Vipin Kumar, M.Pharm., Ph.D., Assistant Professor
3. Sh. Kapil Kumar Goel, M.Pharm., Assistant Professor
4. Sh. Vinod Nautiyal, M.Pharm., Assistant Professor
5. Sh. Ashwani Kumar, M.Pharm., Assistant Professor

Management Studies

1. Prof. V.K. Singh, M.Com., M.Phil, Ph.D., Professor & Head
2. Prof. Pankaj Madan, B.E., M.B.A., M.P.W.T., Ph.D., Professor

Physical Education & Sports

1. Dr. R.K.S. Dagar, M.A., M.P.E., Ph.D., Professor & Head
2. Dr. Ajay Malik, M.A. (Phy. Edu.), NIS, Ph.D., Asst. Professor

FACULTY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

● Applied Sciences

1. Dr. Sunil Panwar, M.Sc., Ph.D, Asso. Professor
2. Dr. M.M. Tiwari, M.Sc., Ph.D, Asso. Professor & Head
3. Dr. Vivek Goel, M.Sc., Ph.D, Assistant Professor
4. Dr. L.K. Joshi, M.Sc., Ph.D, Assistant Professor
5. Dr. Devendra Singh, M.Sc., Ph.D, Assistant Professor
6. Dr. Ajay Kumar, M.Sc., Ph.D, Assistant Professor

● Computer Science & Engineering

1. Dr. Mayank Aggrawal, M.Tech, Ph.D., Associate Professor & Head
2. Dr. Nishant Kumar, M.Tech, Ph.D., Assistant Professor
3. Mr. Namit Khanduja, M.Tech, Assistant Professor
4. Dr. Suyash Bhardwaj, M.Tech, Ph.D., Assistant Professor

6. डा. संदीप कुमार, एम. एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7. डा. विनीत कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
8. डा. चिरंजीवी बनर्जी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● जन्तु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान

1. डा. देवेन्द्र सिंह मलिक, एम. एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. राकेश भूटियानी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. डा. नितिन काम्बोज, एम.एस-सी., नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. विनोद कुमार, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. गगन माटा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. डा. नितिन भारद्वाज, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● भैषज विज्ञान

1. डा. एस.के. राजपूत, एम.फार्म, पी-एच-डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (तदर्थ)
2. डा. विपिन कुमार, एम.फार्म, पी-एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. श्री कपिल कुमार गोयल, एम.फार्म, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. श्री विनोद नोटियाल, एम.फार्म, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. श्री अश्वनी कुमार, एम.फार्म, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

प्रबन्ध अध्ययन

1. प्रो. वी.के. सिंह, एम.कॉम., एम.फिल., पीएच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. प्रो. पंकज मदान, बी.ई., एम.बी.ए., एम.पी.डब्ल्यू.टी., पीएच. डी., प्रोफेसर

शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग

1. डा. आर.के.एस. डगर, एम.ए., एम.पी.ई., पी-एच. डी., प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2. डा. अजय मलिक, एम.ए. (शा.शि.), एन.आई.एस., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय

● अनुप्रयुक्त विज्ञान

1. डा. सुनील पंवार, एम.एस-सी., पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर
2. डा. एम.एम. तिवारी, एम.एस-सी., पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3. डा. विवेक गोयल, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. लोकेश कुमार जोशी, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. डा. देवेन्द्र सिंह, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. डा. अजय कुमार, एम.एस-सी., पी.एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग

1. डा. मयंक अग्रवाल, एम. टेक, पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
2. डा. निशांत कुमार, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. श्री नमित खण्डूजा, एम. टेक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. डा. सुयश भारद्वाज, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर

● Electronics & Communication Engineering

1. Dr. Vipul Sharma, M.Tech, Ph.D., Asso. Professor & Head
2. Dr. Tanuj Garg, M.Tech, Ph.D., Assistant Professor
3. Mr. Anuj Kumar Sharma, M.Tech, Assistant Professor
4. Mr. Shiv Kumar, M.Tech, Assistant Professor

Electrical Engineering

1. Mr. Gajendra.Singh Rawat, M.Tech., Assistant Professor

Mechanical Engineering

1. Mr. Sanjeev Kumar Lamba, M.Tech., Assistant Professor
2. Mr. Praveen.K. Pandey, M.Tech., Assistant Professor
3. Mr. Rishi.K. Prajapati, M.Tech., Assistant Professor

KANYA GURUKULA CAMPUS, HARIDWAR

1. Dr. Sangita Singh, M.A., Ph.D., Professor, Sanskrit
2. Dr. Namita Joshi, M.Sc., Ph.D., Professor, Environmental Science
3. Dr. Shyamalata Juyal, M.A., Ph.D., Professor, Psychology
4. Dr. Suchitra Malik, M.A., Ph.D., Professor, Hindi
5. Dr. Seema Sharma, M.Sc., M.Phil, Ph.D., Professor, Mathematics
6. Dr. Anjali Goyal, M.Sc., Ph.D., Professor, Chemistry
7. Dr. Mudita Agnihotri, M.A., M.Phil, Ph.D., Professor, English
8. Dr. Beena Vishnoi, M.A., Ph.D., Associate Professor, Sanskrit
9. Dr. Mridul Joshi, M.A., Ph.D., Associate Professor, Hindi
10. Dr. Abha Shukla, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Chemistry
11. Dr. Nidhi Handa, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Maths
12. Dr. Deepa Gupta, M.A., Ph.D., Assistant Professor, A.I. History
13. Dr. Manjusha Kaushik, M.A., Ph.D., Associate Professor, English
14. Dr. Sangeeta Madan, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Env. Sc.
15. Dr. Babita Sharma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Philosophy
16. Dr. Sunita Rani, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Psychology
17. Dr. Ritu Arora, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor, Maths
18. Dr. Richa Saini, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Physics
19. Dr. Manila, M.Sc., Ph.D., Assistant Professor, Chemistry
20. Dr. Varindra Wahla, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Microbiology
21. Dr. Nisha Sharma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Hindi
22. Dr. Kalpna Sagar, M.Sc., Ph.D., Asst. Professor, Microbiology
23. Dr. Surekha Rana, M.B.M., M.Phil, Ph.D., Professor, Management
24. Dr. Bindu Arora, M.Com., Ph.D., Professor, Management
25. Dr. Patiraj Kumari, M.A. (Psy.), Ph.D., Professor, Management
26. Dr. Poonam Penuali, MBM, Ph.D., Assistant Prof., Management

● इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

1. डा. विपुल शर्मा, एम.टेक, पी.एच.डी., एसोसियेट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष
2. डा. तनुज गर्ग, एम. टेक, पी.एच.डी., असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री अनुज कुमार शर्मा, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
4. श्री शिवकुमार, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर

इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

1. श्री गजेन्द्र सिंह रावत, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

1. श्री संजीव कुमार लाम्बा, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
2. श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्री ऋषि कुमार प्रजापति, एम.टेक, असिस्टेंट प्रोफेसर

कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार

1. डा. संगीता सिंह, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, संस्कृत
2. डा. नमिता जोशी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान
3. डा. श्यामलता जुयाल, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, मनोविज्ञान
4. डा. सुचित्रा मलिक, एम.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, हिन्दी
5. डा. सीमा शर्मा, एम.एस-सी., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, गणित
6. डा. अंजलि गोयल, एम.एस-सी., पी-एच. डी., प्रोफेसर, रसायन विज्ञान
7. डा. मुदिता अग्निहोत्री, एम.ए., एम.फिल, पी-एच. डी., प्रोफेसर, अंग्रेजी
8. डा. वीना विश्णोई, एम.ए., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत
9. डा. मृदुल जोशी, एम.ए., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी
10. डा. आभा शुक्ला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, रसायन विज्ञान
11. डा. निधि हांडा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित
12. डा. दीपा गुप्ता, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रा.भा.इतिहास
13. डा. मंजुषा कौशिक, एम.ए., पी-एच. डी., एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी
14. डा. संगीता मदान, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान
15. डा. बबीता शर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शन
16. डा. सुनीता रानी, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, मनोविज्ञान
17. डा. रीतू अरोड़ा, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित
18. डा. रिचा सैनी, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी
19. डा. मनीला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन
20. डा. वरिन्दर वाहला, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफे., माइक्रोबायोलॉजी
21. डा. निशा शर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी
22. डा. कल्पना सागर, एम.एस-सी., पी-एच. डी., असि. प्रोफे., माइक्रोबायोलॉजी
23. डा. सुरेखा राणा, एम.बी.एम., एम.फिल., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
24. डा. बिन्दु अरोड़ा, एम.कॉम., पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
25. डा. पतिराज कुमारी, एम.ए. (मनो.), पी-एच. डी., प्रोफेसर, प्रबन्धन
26. डा. पूनम पैन्थूली, एम.बी.एम., पी-एच. डी., असि. प्रोफेसर, प्रबन्धन

KANYA GURUKULA CAMPUS, DEHRADUN

1. Dr. Hemlata K., M.A., Ph.D., Professor, English
2. Dr. Nipur, M.C.A., Ph.D., Professor, Computer Science
3. Dr. Renu Shukla., M.A., Ph.D., Professor, A.I. History
4. Dr. Heman Pathak, M.C.A., Ph.D., Assoc. Professor, Computer Science
5. Dr. Praveena Chaturvedi, M.C.A., Ph.D., Assoc. Professor, Comp. Science
6. Dr. Neena Gupta, M.C.A., Ph.D., Assistant Professor, Computer Science
7. Dr. Nisha Yadav, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Hindi
8. Dr. Savita, M.Tech., NET., Ph.D., Assistant Professor, Computer Science
9. Dr. Mamta Yadav, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Music
10. Dr. Sarita Negi, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Music
11. Dr. Suniti Arya, M.A., Ph.D., Assistant Professor, Sanskrit
12. Dr. Reena Verma, M.A., Ph.D., Assistant Professor, English

कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

1. डा. हेमलता के., एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर, अंग्रेजी
2. डा. निपुर, एम.सी.ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
3. डा. रेणु शुक्ला, एम.ए., पी-एच.डी., प्रोफेसर, प्रा.भा. इतिहास
4. डा. हेमन पाठक, एम.सी.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
5. डा. प्रवीणा चतुर्वेदी, एम.सी.ए., पी-एच. डी., एसो. प्रो०, कम्प्यूटर विज्ञान
6. डा. नीना गुप्ता, एम.सी.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
7. डा. निशा यादव, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिंदी
8. डा. सविता, एम.टेक, नेट, पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कम्प्यूटर साइंस
9. डा. ममता यादव, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संगीत
10. डा. सरिता नेगी, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संगीत
11. डा. सुनीति आर्य, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत
12. डा. रीना वर्मा, एम.ए., पी-एच. डी., असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अंग्रेजी

PROCTORIAL BOARD

Prof. Dinesh Chandra Shastri, Chief Proctor (M. 9410192541)

MAIN PREMISES

1. Prof. Pankaj Madan	Coordinator
2. Prof. Brahmdev	Member
3. Prof. Navneet	Member
4. Dr. Shewtank Arya	Member
5. Dr. Arun Kumar	Member
6. Dr. Hemwati Nandan	Member
7. Dr. Manoj Kumar	Member
8. Dr. Nitin Kamboj	Member
9. Dr. Kapil Kumar Goel	Member
10. Dr. Vipul Bhatt	Member
11. Dr. Vinod Kumar	Member
12. Dr. Ajay Malik	Member
13. NCC / NSS Incharge	Member (ex officio)
14. Chief Warden	Member (ex officio)
15. Chief Security Officer	Member (ex officio)

B.TECH. PREMISES

1. Dr. M.M. Tiwari	Coordinator
2. Dr. Tanuj Garg	Member
3. Dr. Ajay Kumar	Member
4. Dr. Dharmendra Baliyan	Member

KANYA GURUKUL CAMPUS, HARIDWAR

1. Prof. Suchitra Malik	Coordinator
2. Prof. Seema Sharma	Member
3. Dr. Veena Vishnoi	Member
4. Dr. Manila	Member
5. Prof. Bindu Arora	Member
6. Dr. Poonam Penuali	Member

KANYA GURUKUL CAMPUS, DEHRADUN

1. Prof. Nipur	Coordinator
2. Prof. Renu Shukla	Member

Note:- The list is subject to change as per the decision of University Administration.

अनुशासन समिति

प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री मुख्य अनुशासन अधिकारी (मो. 9410192541)

मुख्य परिसर

1. प्रो. पंकज मदान	समन्वयक
2. प्रो. ब्रह्मदेव	सदस्य
3. प्रो. नवनीत	सदस्य
4. डा. श्वेतांक आर्य	सदस्य
5. डा. अरुण कुमार	सदस्य
6. डा. हेमवती नंदन	सदस्य
7. डा. मनोज कुमार	सदस्य
8. डा. नितिन काम्बोज	सदस्य
9. डा. कपिल कुमार गोयल	सदस्य
10. डा. विपुल भट्ट	सदस्य
11. डा. विनोद कुमार	सदस्य
12. डा. अजय मलिक	सदस्य
13. एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रभारी	सदस्य (पदेन)
14. मुख्य वार्डन	सदस्य (पदेन)
15. मुख्य सुरक्षाधिकारी	सदस्य (पदेन)

बी0टेक0 परिसर

1. डा. एम.एम. तिवारी	समन्वयक
2. डा. तनुज गर्ग	सदस्य
3. डा. अजय कुमार	सदस्य
4. डा. धर्मेन्द्र बालियान	सदस्य

कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार

1. प्रो. सुचित्रा मलिक	समन्वयक
2. प्रो. सीमा शर्मा	सदस्या
3. डा. वीना विश्नोई	सदस्या
4. डा. मनीला	सदस्या
5. प्रो. बिन्दु अरोड़ा	सदस्या
6. डा. पूनम पैन्वूली	सदस्या

कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून

1. प्रो. निपुर	समन्वयक
2. प्रो. रेनु शुकला	सदस्या

STUDENTS COUNSELING & GRIEVANCE CELL/ EQUAL OPPORTUNITY CELL/WOMEN EMPOWERMENT CELL

In order to facilitate the students counseling centre, equal opportunity cell, women empowerment cell and students grievance cell have been established in the University as per direction of U.G.C.

Students Counseling Centre

Prof. S.K. Srivastava, Dept. of Psychology	Advisor/Chairman
Dr. Mudita Agnihotri, K.G.C., Haridwar	Member
Dr. Rakesh Bhutiyani, Dept. of Zoology & Env.	Member
Sh. Arun Kumar, Dept. of Psychology	Member

Student Grievance Cell

Prof. R.C. Dubey, Dept. of Botany & Microbiology	Chairman
Prof. Namita Joshi, K.G.C., Haridwar	Member
Prof. Nipur Singh, K.G.C., Dehradun	Member
Dr. M.M. Tiwari, F.E.T.	Member
Dr. Shwetank Arya, Incharge Legal Cell	Member
Prof Pankaj Madan, Dept. of Management studies	Convenor
One student from the place of incidence	Sp. Invitee
concerned (on merit basis)	

Equal Opportunity Cell

Prof. S.K. Srivastava, Dept. of Psychology	Chairman
Prof. Rakesh Kumar Sharma, Dept. of A.I.H.C.	Member
Prof. L.P. Purohit, Dept. of Physics	Member
Prof. Seema Sharma, K.G.C., Haridwar	Member
Dr. Heman Pathak, K.G.C., Dehradun	Member
Dr. Vipul Sharma, F.E.T.	Member

Women Empowerment Cell

Prof. Sangeeta Singh, K.G.C., Haridwar	Chairman
Prof. Hemlatha K., K.G.C., Dehradun	Member
Prof. Namita Joshi, K.G.C., Haridwar	Member
Prof. Shyam Lata Juyal, K.G.C., Haridwar	Member
Smt. Mamta Garg, K.G.C., Haridwar	Convenor

छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर एवं शिकायत प्रकोष्ठ/ समान अवसर प्रकोष्ठ/ महिला सशक्ति प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर व शिकायत प्रकोष्ठ समान अवसर प्रकोष्ठ एवं महिला सशक्ति प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

छात्र/छात्राओं हेतु काउंसिलिंग सेन्टर

प्रो. एस.के. श्रीवास्तव, मनोविज्ञान विभाग	सलाहकार/ चेयरमैन
डा. मुदिता अग्निहोत्री, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्य
डा. राकेश भुटियानी, पर्यावरण एवं जन्तु विज्ञान	सदस्य
श्री अरूण कुमार, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य

छात्र/छात्राओं हेतु शिकायत प्रकोष्ठ

प्रो. आर.सी. दुबे, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	चेयरमेन
प्रो. नमिता जोशी, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्य
प्रो. निपुर सिंह, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून	सदस्य
डा. एम.एम. तिवारी, अभि. एवं प्रौ. संकाय	सदस्य
डा. श्वेतांक आर्य, प्रभारी विधि प्रकोष्ठ	सदस्य
प्रो. पंकज मदान, प्रबन्धन विभाग	संयोजक
संबन्धित घटना स्थल पर विद्यमान एक छात्र/छात्रा	विशेष आमन्त्रित (मेरिट के आधार पर)

समान अवसर प्रकोष्ठ

प्रो. एस.के. श्रीवास्तव, मनोविज्ञान विभाग	चेयरमेन
प्रो. राकेश कुमार शर्मा, प्रा.भा.इति.एवं संस्कृति विभाग	सदस्य
प्रो. एल.पी. पुरोहित, भौतिकी विभाग	सदस्य
प्रो. सीमा शर्मा, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्य
डा. हेमन पाठक, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून	सदस्य
डा. विपुल शर्मा, अभि. एवं प्रौ. संकाय	सदस्य

महिला सशक्ति प्रकोष्ठ

प्रो. संगीता सिंह, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	चेयरमेन
प्रो. हेमलता के., कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून	सदस्य
प्रो. नमिता जोशी, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्य
प्रो. श्यामलता जुयाल, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	सदस्य
श्रीमती ममता गर्ग, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार	संयोजक

Note:- The list is subject to change as per the decision of University Administration.

ANTI RAGGING SQUAD AND ANTI RAGGING COMMITTEE

Prof. Roop Kishor Shastri Vice Chancellor- Chairman
Prof. M.R. Verma, English Deptt. - Nodal Officer (M. 8475936936)
Anti Ragging Squad

- 1. Main Campus & Hostel (For Boys)**
Prof. Dinesh Chandra Shastri, Chief Proctor-Convenor (M.9410192541)
Prof. V.K. Singh, Deptt. of Management Studies
Prof. Navneet, Deptt. of Botany & Microbiology
Prof. Prabhat Kumar, Deptt. of A.I. Indian History Culture & Arch.
Prof. L.P. Purohit, Deptt. of Physics
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 2. Kanya Gurukul Campus, Haridwar (For Girls)**
Prof. Namita Joshi, Deptt. of Env. Sc.-Convenor (M. 7300761358)
Prof. Shymalata Juyal, Deptt. of Psychology
Prof. Suchitra Malik, Deptt. of Hindi
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 3. Kanya Gurukul Campus, Dehradun & Hostel (For Girls)**
Prof. Nipur, Deptt. of Computer Science-Convenor
Prof. Renu Shukla, Deptt. of A.I. History
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 4. Faculty of Engineering & Technology and Hostel (For Boys)**
Dr. M.M. Tiwari-Convenor (M. 7300761272)
Dr. Mayank Agarwal
Dr. Vivek Goel
Sh. Sanjeev Kumar Lamba
Sh. Tanuj Garg
Dr. Dharmendra Baliyan
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman

Anti Ragging Committee

- 1. Main Campus & Science Hostel (For Boys)**
Prof. Somdev Shatanshu, Deptt. of Sanskrit
Prof. R.C. Dubey, Deptt. of Botany & Microbiology
Prof. V.K. Singh, Deptt. of Management Studies
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 2. Kanya Gurukul Campus, Haridwar (For Girls)**
Dr. Sangeeta Vidyalkar, Convenor (M. 9411149099)
Prof. Shymlata Juyal, Deptt. of Psychology
Prof. Surekha Rana, Deptt. of Management Studies
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 3. Kanya Gurukul Campus, Dehradun & Hostel (For Girls)**
Prof. Hemlata K., Convenor (M. 9897258202)
Prof. Nipur, Deptt. of Computer Science
Dr. Renu Shukla, Deptt. of A.I. History
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 4. Faculty of Engineering & Technology (For Boys)**
Dr. Sunil Panwar, Convenor (M. 7300761238)
Dr. M.M. Tiwari
Dr. Vipul Sharma
Dr. Lokesh Kumar Joshi
Junior Student, Senior Student, and Guardian nominated by Chairman
- 5. Internal Grievance Cell**
Prof. Namita Joshi, Chairman
Prof. Shymlata Juyal, Member
Dr. Radhika Nagrath, External Member
Prof. Vivek Kumar, Convenor

Note:- The list is subject to change as per the decision of Vishwavidyalaya Administration.

एन्टी रैगिंग स्क्वायड एवं एन्टी रैगिंग समिति

प्रो. रूपकिशोर शास्त्री, कुलपति-अध्यक्ष
प्रो. एम.आर.वर्मा, अंग्रेजी विभाग-नोडल अधिकारी (मो. 8475936936)

एन्टी रैगिंग स्क्वायड

- 1. मुख्य परिसर एवं छात्रावास (छात्रों के लिए)**
प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री, मुख्य अनुशासन अधिकारी-समन्वयक (मो. 9410192541)
प्रो. वी. के. सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग
प्रो. नवनीत, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग
प्रो. प्रभात कुमार, प्राचीन भा. इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
प्रो. एल.पी. पुरोहित, भौतिकी विभाग
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक
- 2. कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार (छात्राओं के लिए)**
प्रो. नमिता जोशी, पर्यावरण विज्ञान विभाग-समन्वयक (मो. 7300761358)
प्रो. श्यामलता जुयाल, मनोविज्ञान विभाग
प्रो. सुचित्रा मलिक, हिन्दी विभाग
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक
- 3. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं छात्रावास (छात्राओं के लिए)**
प्रो. निपुर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग-समन्वयक
प्रो. रेणु शुक्ला, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक
- 4. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय एवं छात्रावास (छात्रों के लिए)**
डा.एम.एम. तिवारी-समन्वयक (मो. 7300761272)
डा. मयंक अग्रवाल
डा. विवेक गोयल
श्री संजीव कुमार लाम्बा
श्री तनुज गर्ग
डा. धर्मन्द्र बालियान
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक

एन्टी रैगिंग समिति

- 1. मुख्य परिसर एवं विज्ञान छात्रावास (छात्रों के लिए)**
प्रो. सोमदेव शताशु, संस्कृत विभाग
प्रो. आर.सी. दुबे, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग
प्रो. वी. के. सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक
- 2. कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार (छात्राओं के लिए)**
डा. संगीता विद्यालंकार, समन्वयक (मो. 9411149099)
प्रो. श्यामलता जुयाल, मनोविज्ञान विभाग
प्रो. सुरेखा राणा, प्रबन्ध अध्ययन विभाग
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक
- 3. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं छात्रावास (छात्राओं के लिए)**
प्रो. हेमलता के., समन्वयक (मो. 9897258202)
प्रो. निपुर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
डा. रेणु शुक्ला, प्राचीन भारतीय इतिहास
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्रा, सीनियर छात्रा एवं अभिभावक
- 4. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय (छात्रों के लिए)**
डा. सुनील पेंवार, समन्वयक (मो. 7300761238)
डा. एम. एम. तिवारी
डा. विपुल शर्मा
डा. लोकेश कुमार जोशी
अध्यक्ष द्वारा नामित जूनियर छात्र, सीनियर छात्र एवं अभिभावक
- 5. आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ**
प्रो. नमिता जोशी, अध्यक्ष
प्रो. श्यामलता जुयाल, सदस्य
डा. राधिका नागरथ, वाहय सदस्य
प्रो. विवेक कुमार, संयोजक

**ACADEMIC CALANDER
SESSION 2021-2022**

**एकेडमिक कैलेंडर
सत्र 2021-2022**

1	Last date for submitting the filled in application	31.07.2021
2	Last date of the DRC meeting	31.08.2021
3	Last date for admission to Ph.D. course work	15.09.2021
4	Date of commencement of Ph.D. course work classes	16.09.2021
5	Examination of Ph.D. course work	Feb. 2022
6	Declaration of result of Ph.D. course work	Last week of March 2022
7	Last date for submission of application form along with Ph.D. synopsis	10.05.2022
8	Last date of RDC meeting	31.05.2021

1	शोध में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	31.07.2021
2	विभागीय शोध समिति की बैठक किये जाने की अंतिम तिथि	31.08.2021
3	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य में प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि	15.09.2021
4	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य का शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	16.09.2021
5	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य की परीक्षा की तिथि	फरवरी 2022
6	पी-एच.डी. पाठ्यक्रम कार्य के परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि	मार्च 2022 अन्तिम सप्ताह
7	पी-एच.डी. रूपरेखा सहित आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि	10.05.2022
8	शोध उपाधि समिति की बैठक की अंतिम तिथि	31.05.2021

नोट:-

- अभ्यर्थी को विभागीय शोध समिति/शोध उपाधि समिति की बैठक की वास्तविक तिथि की सूचना दी जायेगी।
- उपरोक्त तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

- Note :-**
- The Candidate will be informed about the actual date of DRC/ RDC meeting.
 - Alteration can be made in the above dates, if required.



GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) HARIDWAR
FEE STRUCTURE-I
(FULL TIME Ph.D. PROGRAMME)
(2021-22 & onwards)

A. I Year

S. No.	Head	Category A*		Category B**	
		I Inst.#	II Inst.#	I Inst.#	II Inst.#
1.	Ph.D. Course Work Registration Fee	1000	-	1000	-
2.	Ph.D. Course Work Fee	8000		8000	
3.	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	5000	-	5000
4.	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	5000	-	5000
5.	Library Fee	1000	-	1000	-
6.	Library Caution Money (Refundable)	5000		5000	
7.	Internet Fee/Journal Subscription Fee	1000	1000	1000	1000
8.	Lab. Caution Money (Refundable)	-	-	-	-
9.	Computational Fee/Lab Fee	-	-	-	6000
10.	Pre Ph.D. Examination Fee	1000	-	1000	-
	Total (Rs.)	17000	11000	17000	17000

* Note: Ist Instalment: At the time of Registration in Ph.D. course work, IInd Instalment: At the time of Submission of Ph.D. Synopsis.

B. II Year & onwards (Yearly Fee)

S. No.	Head	Category A*	Category B**
1.	Cummulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/Journal Subscription, etc.)	3000	9000
2.	Library Fee	1000	1000
	Total (Rs.)	4000	10000

C. Quarterly Progress Report Fee : Rs. 1500/- (Rs. 500/- per month), Late Fee Rs. 100/- per month

D. One Time Fee:

1.	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	Rs. 15000/-
2.	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	Rs. 15000/-

Category of subjects

Category	Subjects
*Category A	Sanskrit/Veda/Philosophy/English/ Hindi/ A. I. History/ Psychology/ Yogic Scince/ Physical Education/ Economics/ Shradhanand Vedic Shodh
**Category B	Maths/ Physics/ Management /Zoology/ Environmental Science/ Chemistry/ Computer Science/ Botany/ Micro Biology/ Computer Sciences & Engg./ Electronics & Commn. Engg./ Pharmaceutical Science/ Applied Science (Chemistry/ Physics/ Mathematics)

- Note :-**
1. First installment of the I year fee shall be deposited at the time of Registration in Ph.D. course work.
 2. Second Installment of the I year fee shall be deposited at the time of submission of Ph.D. synopsis.
 3. Yearly fee (from II year and onwards) shall be deposited up to 31st July of each year.
 4. No claim shall be entertained for return of fee deposited in any case.
 5. No application shall be entertained for refund of security money after one year of completion of the Ph.D. Programme.



GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) HARIDWAR
FEE STRUCTURE-II
(PART TIME Ph.D. PROGRAMME)
(2021-22 & onwards)

A. I Year

S. No.	Head	Category A*		Category B**	
		I Inst.#	II Inst.#	I Inst.#	II Inst.#
1.	Ph.D. Course Work Registration Fee	1000	-	1000	-
2.	Ph.D. Course Work Fee	25000		25000	
3.	Ph.D. Synopsis Submission Fee	-	10000	-	10000
4.	Ph.D. Admission Fee after RDC	-	10000	-	10000
5.	Library Fee	1000	-	1000	-
6.	Library Caution Money (Refundable)	5000		5000	
7.	Internet Fee/Journal Subscription Fee	1000	2000	1000	2000
8.	Lab. Caution Money (Refundable)	-	-	-	-
9.	Computational Fee/Lab Fee	-	-	-	12000
10.	Pre Ph.D. Examination Fee	1000	-	1000	-
	Total (Rs.)	34000	22000	34000	34000

Note: Ist Instalment: At the time of Registration in Ph.D. course work, IInd Instalment: At the time of Submission of Ph.D. Synopsis.

B. II Year & onwards (Yearly Fee)^

S.No.	Head	Category A		Category B	
		Maintenance Department	Self Finance Dept.	Maintenance Department	Self Finance Dept.
1.	Cumulative Fee (Including Lab/ Computational/ Internet/Journal Subscription, etc.)	10000	20000	34000	61000
2	Library Fee	2000	4000	2000	4000
	Total (Rs.)	12000	24000	36000	65000

^Note : Yearly fee (from II year & onwards) shall be deposited up to 31st July each year.

C. Quarterly Progress Report Fee (for all): Rs. 3000/- (Rs. 1000/- per month), Late Fee Rs. 200/- per month

D. One Time Fee (for all):

1.	Thesis Evaluation Fee (at the time of thesis submission)	Rs. 15000/-
2.	Thesis Resubmission & Evaluation Fee	Rs. 15000/-

***Category of subjects**

Category	Subjects
*Category A	Sanskrit/Veda/Philosophy/English/ Hindi/ A. I. History/ Psychology/ Yogic Science/ Physical Education/ Economics/ Shradhdhanand Vedic Shodh
**Category B	Maths/ Physics/ Management/ Zoology/ Environmental Science/ Chemistry/ Computer Science/ Botany/ Micro Biology/ Computer Sciences & Engg./ Electronics & Commn. Engg./ Pharmaceutical Science/ Applied Science (Chemistry/ Physics/ Mathematics)

Note :-

1. First installment of the I year fee shall be deposited at the time of Registration in Ph.D. course work.
 2. Second Installment of the I year fee shall be deposited at the time of submission of Ph.D. synopsis.
 3. Yearly fee (from II year and onwards) shall be deposited up to 31st July of each year.
 4. No claim shall be entertained for return of fee deposited in any case.
 5. No application shall be entertained for refund of security money after one year of completion of the Ph.D. Programme.
- Note: For Staff ward and Regular/Temporary Teaching & Non teaching employee of GK(DU), fee of part time Ph.D. programme under self finance departments shall be same as that of maintenance departments.



GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY) HARIDWAR

FEE STRUCTURE-III (2021-22 & onwards)

FEE TO BE CHARGED UNDER OTHER HEADS

● Degree/Certificate fee	
On Convocation	300/-
After Convocation	400/-
● Provisional Certificate	200/-
● Migration Certificate	200/-
● Duplicate Migration	400/-
● Duplicate Degree/Certificate	400/-
● Character Certificate	100/-
● Identity Card	50/-
● Medical Fee (Annual)	200/-

अन्य मदों में लिया जाने वाला शुल्क

● उपाधि/प्रमाण पत्र शुल्क	
दीक्षान्तोत्सव पर	300/-
दीक्षान्त के बाद	400/-
● प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क	200/-
● प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क	200/-
● डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण पत्र शुल्क	400/-
● डुप्लीकेट डिग्री/प्रमाण पत्र शुल्क	400/-
● चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	100/-
● परिचय पत्र शुल्क	50/-
● चिकित्सा शुल्क (वार्षिक)	200/-

Note:- Error, if any, is with subject to rectification in the Information Brochure.